असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

15 दिसम्बर, 2022

सप्तदश विधान सभा — वृहस्पतिवार, तिथि 15 दिसंबर, 2022 ई॰

सप्तम सत्र — 24 अग्रहायण, 1944 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

(व्यवधान)

अल्पसूचित प्रश्न लिये जाएंगे । श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0- 07, (श्री अरूण शंकर प्रसाद, क्षेत्र सं0-33, खजौली)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

अल्पसूचित प्रश्न सं0- 08, (श्री संजय सरावगी, क्षेत्र सं0-83, दरभंगा)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ।

(व्यवधान जारी)

शांति-शांति, आप अपना स्थान ग्रहण करें । सदन की कार्यवाही में आप सहयोग करें । माननीय सदस्यों का अल्पसूचित, तारांकित प्रश्न है । इस कार्यक्रम में आप सहयोग करें । श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य श्री जनक सिंह जी, आप स्थान ग्रहण करें । आप समय पर उठाइयेगा । अपना स्थान ग्रहण करें । आप व्यवधान न करें । अपने स्थान पर जायं और समय पर बात को उठाएंगे । श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी: जी, पूछता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-9, (श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, क्षेत्र सं0-200, बक्सर)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, समाहर्ता बक्सर से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति निम्नवत है :-

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: मार्शल, इन तमाम पोस्टरों को ले लें । पोस्टर लेकर के आना यह बिल्कुल अलोकतांत्रिक व्यवस्था है । अनुशासन में रहकर काम कीजिए । प्रजातंत्र की जो व्यवस्था है उसपर ध्यान दीजिए । पोस्टर ले लें ।

(व्यवधान जारी)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: 1. बक्सर जिलान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निबंधन हेतु भूमि के न्यूनतम मूल्य का अंतिम पुनरीक्षण अक्टूबर, 2014 में किया गया था ।

2. निबंधक उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) संकल्प अधिसूचना सं0-1/MI-1-54/2014-3152/ दिनांक- 23.07.2014 बिहार स्टाम्प (लिखित का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संशोधन) नियमावली- 2014 के द्वारा बिहार स्टाम्प (लिखित का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियमावली- 1995 यथा संशोधित के नियम 8(1) के संशोधन कर राज्य के जिलों में अधिसूचित भूमि/सम्पत्ति के न्यूनतम मूल्य की मार्गदर्शन पंजी का पुनरीक्षण राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात् ही जिला मूल्यांकन समिति द्वारा किया जा सकता है ।

3. भू-अर्जन हेतु अर्जित भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 26 (a) एवं (b) के प्रावधानों के तहत किया जाता है ।

उपरोक्त कंडिका-01 के स्पष्टीकरण के अनुसार जिस वर्ष में भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है, के ठीक पिछले तीन वर्षों के दौरान निकट के गांव या आस-पास के क्षेत्र में इसी प्रकार के क्षेत्र के लिए विक्रय विलेखों या विक्रय समझौता का ध्यान में रखते हुए खंड (b) में निर्दिष्ट औसत विक्रय मूल्य अभिनिर्धारित किया जायेगा इसके साथ ही अधिनियम में दिये गये प्रावधान के स्पष्टीकरण 2, 3 एवं 4 के अनुसार दर का निर्धारण किया गया है । तदोपरांत मुआवजा राशि के भुगतान की कार्रवाई की गई है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री मुन्ना तिवारी जी, आपके प्रश्न का बहुत अच्छे तरीके से माननीय राजस्व मंत्री जी ने जवाब दिया है ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारीः अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए । किसान वहां पर दो महीने से धरना पर बैठे हैं और उनको वर्ष 2013 और 2014 के हिसाब से ही मुआवजा दिया जा रहा है जबकि भूमि का अधिग्रहण...

(व्यवधान जारी)

मेरा कहना है कि सरकार वर्तमान में जो भूमि अधिग्रहण कर रही है वर्ष 2023-24 में उसके अनुसार भूमि का मूल्य देगी या नहीं देगी ।

(व्यवधान जारी)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्रीः महोदय, अभीतक अक्टूबर 2014 में जो पुनरीक्षण हुआ उसी आधार पर सारे नियामक तय किये जाते हैं और मूल्य निर्धारन की जो प्रक्रिया है उसमें भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 26 (a) एवं (b) के प्रावधानों के तहत ही किया जाता है । इसलिए सिर्फ प्रतिलेख पढ़ने से या मूल्य का पुनर्निरीक्षण होने से किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि आसपास के गांव में जो बिक रही जमीन की दर होती है उसके आधार पर भू-अर्जन अधिनियम 2013 के द्वारा ही उसका निर्धारण होता है । इसलिए माननीय सदस्य से मैं कहना चाह रहा हूं कि जो वस्तुस्थिति है इससे संबंधित किसानों को अवगत कराना चाहिए और नियम के अनुसार मूल्य का निर्धारण होगा । पुनर्निरीक्षण का कार्य अभी सरकार के पास लंबित नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपके प्रश्नों का जवाब बड़े अच्छे तरीके से, नियमानुसार माननीय राजस्व मंत्री जी ने दिया है इसलिए आप स्थान ग्रहण करें । श्री निरंजन कुमार मेहता ।

(व्यवधान जारी)

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0- 10, (श्री निरंजन कुमार मेहता (क्षेत्र सं0-7, बिहारीगंज)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री पशुपालन विभाग, प्रश्नकर्ता अनुपस्थित हैं इसलिए आप बैठें । माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान ।

प्रश्न सं0-11, (श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र सं0-56, अमौर)

(लिखित उत्तर)

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है ।

नवम्बर माह में 2.50 लाख मे0ट0 की आवश्यकता के विरूद्ध दिनांक- 18.11.2022 तक 89885 मे0ट0 यूरिया प्राप्त हुआ है ।

नवम्बर माह में राज्य में 2.50 लाख मे0ट0 आवश्यकता के विरूद्ध भारत सरकार के द्वारा 1.50485 लाख मे0ट0(60.19 प्रतिशत) यूरिया की आपूर्ति की गयी है । दिनांक- 30.11.22 को यूरिया का पॉस स्टॉक 1.28 लाख मे0ट0 था ।

रब्बी 2022-23 में अक्टूबर एवं नवम्बर माह में यूरिया की उपलब्धता निम्नवत है :

माह अक्टूबर, 2022- आवश्यकता 210000, उपलब्धता 126670, 60 प्रतिशत, माह नवम्बर, 2022- आवश्यकता 250000, उपलब्धता 150485, 60 प्रतिशत, कुल आवश्यकता 460000, उपलब्धता 277155, 60 प्रतिशत ।

2. अस्वीकारात्मक है । रब्बी 2022-23 में माह नवम्बर- 22 (दिनांक 30.11.22 तक) में राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता निम्नवत है :-

मात्रा (लाख मे0ट0 में)

उर्वरक का नाम	आवश्यकता			उपलब्धता				प्रतिशत	पोंस स्टॉक
	अक्टूबर	नवंबर	कुल	आरंभ शेष	अक्टूबर	नवम्बर	कुल		
यूरिया	2.10	2.50	4.60	0.06	1.27	1.50	2.83	61	1.28
डी0ए0पी	0.90	1.22	2.12	0.06	0.71	1.46	2.23	105	0.80
एन0पी0के0	0.37	0.50	0.87	0.10	0.54	0.72	1.36	1.56	0.82
एम0ओ0पी0	0.25	0.46	0.71	0.04	0.27	0.23	0.53	75	0.32

उक्त से स्पष्ट है कि दिनांक- 30.11.22 को राज्य में यूरिया 1.28, डी0ए0पी0 0.80, एन0पी0के0 0.82, एम0ओ0पी0 0.32 लाख मे0ट0 का पॉस स्टॉक उपलब्ध था एवं उर्वरक की कोई कमी नहीं है ।

3. उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री अखतरूल ईमानः अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, उत्तर हमने दे दिया है कोई पूरक है तो पूछ सकते हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपको ऑनलाईन जवाब दे दिया गया है ।

श्री अखतरूल ईमानः महोदय, उसी के आलोक में, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जितनी बिहार को जरूरत थी उसमें कभी 60 फीसद, कभी 70 फीसद यूरिया जैसे उर्वरक की सप्लाई हुई है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिसकी सप्लाई केंद्र से कम हुई यूरिया, डी0ए0पी0, पोटास की सप्लाई का कोई दूसरा रास्ता भी है । उस कमी को पूरा नहीं करने के नतीजे में किसानों को जो नुकसान हुआ, उत्पाद में जो कमी आई, भरपाई के लिए सरकार की क्या पॉलिसी है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इनका प्रश्न था कि हमको जो है 2.5 लाख टन यूरिया की जरूरत थी केंद्र से । हमने बताया कि 89 हजार टन हमें मिला अब जब केंद्र सरकार हमको खाद नहीं देना चाहती है सही समय पर इसका क्या उपाय है यह माननीय सदस्य हमें सुझाव दें चूंकि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार हमारी बैठकें होती रहती हैं, अब बैठक की पूरी डिटेल हमारे पास है । हम लगातार भारत सरकार से मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि हमको इतना टन यूरिया की आवश्यकता है, सही समय पर अगर भारत सरकार नहीं दे रही है तो माननीय सदस्य से हम जानना चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो आप हमको बता दें, आपके सुझाव का हम अनुश्रवण करेंगे ।

श्री अखतरूल ईमानः महोदय, मैं कह रहा हूं कि यह बड़ा मसला है, बिहार में किसानों की हालत खराब है, सरकार यूरिया नहीं दिला पा रही है ।

(व्यवधान जारी)

केंद्र की सरकार अगर राज्य में सड़क नहीं बनाती है, पुल नहीं बनाती है तो राज्य सरकार उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करती है तो किसानों के बारे में क्या सरकार संवेदनशील नहीं है कि इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाय । महोदय, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई है । हम तो यही परामर्श देंगे कि सरकार के पास जो संसाधन हैं उससे सरकार जल्दी उपाय करे, कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार बनाए ।

टर्न-2/अंजली/15.12.2022

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, किसान के हित में सरकार बिल्कुल संवेदनशील है । इसलिए माकूल व्यवस्था के बारे में सरकार ने आपको और सदन को जानकारी दी है और भी जो व्यवस्था होनी चाहिए केंद्र ने मांग के मुताबिक यूरिया नहीं दिया है । उसकी दिशा में हमारे कृषि मंत्री, सरकार अपने स्तर से सक्षम कार्रवाई कर रहे हैं । इसलिए आप स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-12 (श्री जिवेश कुमार, क्षेत्र सं0-87, जाले)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-13 (श्री अजय कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-166, जमालपुर)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार यादव । माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-14 (श्री मुकेश कुमार यादव, क्षेत्र सं0-27, बाजपट्टी)

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, हमने माननीय सदस्य को ऑनलाइन जवाब दे दिया है । अस्वीकारात्मक है ।

रबी वर्ष 2022-23 अंतर्गत गेहूं फसल के बीज हेतु किसानों से आवेदन प्राप्त करने के लिए विभागीय पोर्टल सभी जिलों के लिए खोला गया था । नालंदा एवं औरंगाबाद को छोड़कर सभी जिलों में लक्ष्य के अनुरूप आवेदन प्राप्त हो चुका था । नालंदा एवं औरंगाबाद जिलों से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण जिला कृषि पदाधिकारी,

औरंगाबाद एवं नालंदा के अनुरोध पर उक्त दोनों जिलों के लिए गेहूं बीज के आवेदन हेतु पुनः ऑनलाइन पोर्टल खोला गया है ।

अध्यक्ष : आप स्थान तो ग्रहण करें । प्रश्नकाल में आप सहयोग करें, आसन ग्रहण करें । समय पर आप उठायेंगे, अपना स्थान ग्रहण करें । समय पर उठाने के लिए आसन समय निर्धारित करेगा, अपना स्थान ग्रहण कीजिए । समय पर आपको उठाने की इजाजत दी जाएगी ।

श्री मुकेश कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर प्रश्न अस्वीकारात्मक है, आवेदन का लक्ष्य पूरा हो गया था तो बीज वितरण का लक्ष्य हुआ या नहीं, जब पूर्व में ऐसा कोई नियम नहीं था तो फिर इस वर्ष सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा कोई दिशा-निर्देश दिया गया था । मंत्री महोदय, बिहार के किसान में शिक्षा का अभाव है और कुछ लोग बटाई खेती भी करते हैं । जरूरत के हिसाब से बीज लाने जाते हैं तो विभाग कर्मी द्वारा बताया जाता है कि पोर्टल बंद हो चुका है । अतः मंत्री महोदय से, सरकार से मैं मांग करता हूं कि पूर्व की तरह व्यवस्था होने का आग्रह करता हूं ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह अवगत करा देना चाहता हूं कि सरकार ई-किसान भवन सभी प्रखंडों में है । वहां से किसानों को ऑनलाइन करने की व्यवस्था है । महोदय, हमारी जो नीति है कि पहले आओ और पहले पाओ, जो किसान पहले आवेदन दे देते हैं उसके हिसाब से उनको ई-किसान भवन से बीज प्राप्त हो जाता है । अगर किसी जिले में जरूरत के अनुसार ऑनलाइन किसान नहीं कर सके, उनको हमलोगों ने दुबारा अवसर दिया है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप टेबल थपथपाकर के सरकार का जो जवाब है उसको बाधित करना चाहते हैं । आप जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के खिलाफ काम कर रहे हैं । अपना आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-15 (श्री अरूण शंकर प्रसाद, क्षेत्र सं0-33, खजौली)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

माननीय सदस्य श्री पवन कुमार जायसवाल ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-16 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र सं0-21, ढाका)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-17 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, क्षेत्र सं0-221, नवीनगर)

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1. वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के दक्षिण बिहार के जिलों में दिनांक-15.11.2022 को गत वर्ष की तुलना में भू-जल स्तर में न्यूनतम 1 फीट 1 इंच से अधिकतम 8'10'' की कमी आई है । विभाग को आवंटित वार्डों में 'हर घर नल का जल' के तहत योजना का निर्माण कराकर ग्रामीणों को जलापूर्ति दी जा रही है । इन जिलों में जलापूर्ति की कोई समस्या प्रतिवेदित नहीं है ।

2. उपर्युक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

3. उपुर्यक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : महोदय, ऑनलाइन जवाब दिया हुआ है यदि कोई पूरक प्रश्न है तो पूछा जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह जी आपको ऑनलाइन जवाब मिला हुआ है अगर आप कोई पूरक पूछना चाहते हैं तो पूरक पूछें ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार के द्वारा जो जवाब आया है इसमें कहा गया है कि एक फीट एक इंच से पानी कम हुई है लेकिन पूरे मगध प्रमंडल में जो हमलोगों के पास रिपोर्ट है करीब 8 फीट नीचे जल स्तर चला गया है तो हम यह सरकार से मांग करते हैं कि जहां पर भी...

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, आप अपने सदस्यों को आसन पर बुलाइए, आपको समय पर अवसर दिया जायेगा, बैठिए ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे मगध प्रमंडल में करीब 8 फीट भू-जल स्तर नीचे चला गया है तो पूरे इलाके में पानी का हाहाकार है । हम माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करेंगे कि विशेष तौर से मगध प्रमंडल के अंदर में, औरंगाबाद हो,

गया हो या नालंदा हो इन सारे इलाकों में खासकर के चापाकल ज्यादा से ज्यादा लगवाकर इस क्राइसिस को दूर करने का काम करें ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी भू-जल जो नीचे जा रहा है उसके लिए काफी चिंतित हैं और उसके लिए काफी कार्य किए जा रहे हैं । महोदय, हमलोगों ने जवाब में कहा है कि एक फीट एक इंच से लेकर 8 फीट 10 इंच तक नीचे गया है, जो हमको प्रश्नावली मिला है लेकिन हमलोग इसको पूरी तरह से जांच करा कर और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काफी चिंतित हैं, हमलोग इस दिशा में कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्या श्रीमती अरूणा देवी ।

तारांकित प्रश्न सं0-'क' 189 (श्रीमती अरूणा देवी, क्षेत्र सं0-239, वारिसलीगंज)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद

तारांकित प्रश्न सं0-190 (श्री सुदामा प्रसाद, क्षेत्र सं0-196, तरारी)

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री (लिखित उत्तर) : आंशिक स्वीकारात्मक है । ज्ञातव्य हो कि कृषि विभाग के द्वारा उद्योग स्थापित नहीं किया जाता है, परंतु कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने में सहायता की जाती है ।

कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना अंतर्गत फल एवं सब्जी पर आधारित उद्योगों को विकसित करने के लिए बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति (BAIPP) योजना संचालित की जा रही है । इस योजना के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में प्रोसेसिंग प्लांट अधिष्ठापित करने हेतु निवेशक/उद्यमी/कृषक/समूह/सहकारी संस्थान आदि को पूंजीगत अनुदान देने का प्रावधान है ।

बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति (BAIPP) योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई । इस नीति के तहत सात सेक्टर (मखाना, शहद, फल एवं सब्जियां, औषधीय एवं सुगंधित पौधे, मक्का, चाय एवं बीज) में प्रोसेसिंग के क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए पूंजीगत अनुदान का प्रावधान है ।

इस योजना अंतर्गत व्यक्तिगत निवेशकों के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तथा FPOs को 25 प्रतिशत तक का पूंजीगत अनुदान का प्रावधान 25.00 लाख रुपये से 5.00 करोड़ रुपये की निवेश पर मान्य है । इस नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा के निवेशकों को अतिरिक्त 5 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान तथा महिलाएं तथा दिव्यांग उद्यमी, वार विडो, एसीड अटैक पीड़ित एवं थर्ड जेंडर उद्यमी को अतिरिक्त 2 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, जवाब मिला हुआ है । मेरा पूरक है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वे पूरक पूछ रहे हैं । जवाब हमने दे दिया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछें ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, विभाग की ओर से, यह तो है कि कोई व्यक्ति लोन लेकर अपना खोल सकते हैं, प्लांट स्थापित कर सकते हैं लेकिन क्या विभाग की ओर से बड़े पैमाने पर काम करने का सरकार विचार रखती है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, मैंने अपने जवाब में बताया है कि कृषि विभाग के द्वारा उद्योग स्थापित नहीं किया जाता है । मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में यह बता दिया है कि कृषि विभाग के द्वारा कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जाता है । कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए हम सहायता देते हैं । अगर कृषि पर आधारित कोई किसान अगर उद्योग लगाना चाहता है तो हम उसको सहायता देते हैं । कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना अंतर्गत फल एवं सब्जी पर आधारित उद्योगों को विकसित करने के लिए बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति योजना हम उसके लिए संचालित कर रहे हैं । इस योजना के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में प्रोसेसिंग प्लांट अधिष्ठापित करने हेतु निवेशक/उद्यमी/कृषक/समूह/सहकारी संस्थान आदि जो पूंजीगत अनुदान देने का प्रावधान है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन । माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग

<u>तारांकित प्रश्न सं0-191 (श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, क्षेत्र सं0-224, रफीगंज)</u>

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, संयुक्त सचिव (प्र0को0) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि रफीगंज नगर पंचायत क्षेत्र में हर घर नल का जल का कार्य कराने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) कार्यकारी एजेंसी है ।

उक्त योजना का निर्माण करने हेतु एजेंसी के साथ दिनांक-24.09.2020 को एकरारनामा संख्या-SBD-06/2020-21 की गई जिसकी एकरारित राशि 36.17 करोड़ (छत्तीस करोड़ सत्रह लाख रुपये) मात्र है । जिसके तहत योजना का कार्य दिनांक-23.03.2022 तक पूर्ण किया जाना था ।

रफीगंज शहरी जलापूर्ति योजना अंतर्गत सभी 16 वार्डों को तीन जोन में विभक्त कर कार्यों को कराया जाना है जिसकी अद्यतन स्थिति निम्नवत है :

ZONE-I में कार्य प्रगति में है, जिसे समेकित रूप से पूर्ण करा कर जनवरी-2023 में जलमीनार के माध्यम से इस जोन के चार वार्ड (1, 2, 3 एवं 4) में जलापूर्ति प्रारंभ कर दी जाएगी । मतलब पहला जोन में जनवरी 2023 तक जलमीनार के माध्यम से चार जोनों में कार्य प्रगति पर है वह प्रारंभ करा दी जाएगी ।

ZONE-II में भी कार्य प्रगति में है, जिसे समेकित रूप से पूर्ण करा कर मार्च-2023 तक जलमीनार के माध्यम से जो चार वार्ड हैं 13, 14, 15 एवं 16 में जलापूर्ति प्रारंभ कर दी जाएगी । वर्तमान में ZONE-I एवं ZONE-II के अंतर्गत लगभग 4150 घरों के विरुद्ध 3500 घरों में सीधी जलापूर्ति की जा रही है । (क्रमशः)

टर्न-3/सत्येन्द्र/15-12-2022

(व्यवधान जारी)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री:(क्रमशः) इन दोनों जोन अन्तर्गत अद्यतन व्यय 17 करोड़ 18 लाख रू0 मात्र है । जोन-3 अन्तर्गत अभी तक कार्य एवं व्यय शून्य है । नलकूप निर्माण हेतु प्रावधान स्थल पर स्थानीय विवाद के कारण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो पाया है एवं वैकल्पिक स्थल भी उपलब्ध नहीं हुआ है । स्थानीय जिला प्रशासन

एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा विवाद के हल का प्रयास किया जा रहा है । स्थल विवाद समाप्त होने, वैकल्पिक स्थल उपलब्ध होने पर कार्य करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष: माननीय विधायक जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी ने बड़े ही सकारात्मक ढंग से आपके क्षेत्र की समस्या के निदान के लिए इन्होंने कार्रवाई की है इसलिए मैं समझता हूँ कि आप निश्चित संतुष्ट हो गये होंगे और मैं चाहूंगा कि माननीय नगर विकास मंत्री जी को इतनी सकारात्मक कार्रवाई के लिए धन्यवाद देने की आवश्यकता है ।

श्री मो0 नेहालउद्दीन: हम धन्यवाद देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पूरे शहर को पानी की आपूर्त्ति की जायेगी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री: महोदय सवाल में उठाये गये वित्तीय अनियमितता का मामला प्रकाश में नहीं आया है । अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो दोषियों पर कार्रवाई की जायेगी तथा पी0एच0ई0डी0 मंत्री से भी हमलोग तालमेल कर के स्थल का जो विवाद है, उसको निपटाने का काम करेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 192(श्री जितेन्द्र कुमार,क्षेत्र सं0-171 अस्थावॉ)

श्रीमती लेशी सिंह,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, ये खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में अभी ट्रांसफर हुआ है इसलिए समय चाहिए ।

श्री जितेन्द्र कुमार: कब तक मिलेगा महोदय?

अध्यक्ष: आपको समय कबतक चाहिए ? आप स्थानांतरित कर दिये हैं?

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री: नहीं वहां से यहां आया है ।

अध्यक्ष: आपका प्रश्न जो है, अन्य विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है इसलिए आपको इसी चलते सत्र में आपके प्रश्न का जवाब सबंधित विभाग देगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य भाई वीरेन्द्र जी अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: माननीय विधायक, माननीय सहकारिता मंत्री आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: 1-उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 5248 दिनांक 22-11-2022 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में नालंदा जिले में पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्त धान के समतुल्य सी0एम0आर0(चावल) राज्य खाद्य निगम को आपूर्त्ति हेतु उसना चावल का अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

3-सम्प्रति विभाग में ऐसी कोई योजना/विचाराधीन नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

श्री जितेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, नालंदा जिला में सरकारी अनुदानित सहयोग से ऋण पर 17 पैक्सों में अरवा चावल मिल लगाया गया था और जवाब में आया है कि सम्प्रति विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं है, विचार नहीं किया जायेगा तो सरकार के द्वारा महोदय, यह 17 पैक्सों में जो अनुदानित दर पर, पैक्सों ने ऋण पर अरबा मिल का स्थापना किया लेकिन इनलोगों को महोदय मिलिंग करने का, धान कुटाई करने का आदेश नहीं दिया गया है तो क्या कुटाई करने का आदेश सरकार देना चाहती है ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: अविलम्ब आदेश मिलेगा, जल्द से जल्द आदेश दे दिया जायेगा ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ने कहा कि अविलम्ब आदेश दे दिया जायेगा, आप स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या- 193(श्री अचमित ऋषिदेव,क्षेत्र सं0- 47 रानीगंज,अ0जा0)

(लिखित उत्तर)

श्री ललित कुमार यादव,मंत्री: स्वीकारात्मक । वस्तुत: रानीगंज प्रखंड अन्तर्गत पंचायत विशनपुर के ग्राम मधुलता, बार्ड नं0-5 में दो टोला है । जिसमें ततमा टोला में जलापूर्त्ति की जा रही है एवं फकीर टोला जिसकी दूरी योजना से 1.7 कि0मी0 की दूरी पर है । उक्त टोलों में छूटे हुए घरों की संख्या 205 है । जिस कारण 1 अदद नये योजना की आवश्यकता है । वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 2 अदद सरकारी चापाकल उपलब्ध है । साथ ही वार्ड संख्या 6 में बरसाती नदी है उसके दूसरे भाग में महादलित टोला अवस्थित है जो वार्ड संख्या 6 के योजना के अंतिम छोर से लगभग 700 मीटर की

दूरी पर है । उक्त टोला में कुल 60 घर छूटे हुए हैं । 01 अदद नये योजना की आवश्यकता है । वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 1 अदद सरकारी चापाकल उपलब्ध हैं । छूटे घरों के लिए विचलन प्रस्ताव की स्वीकृति कर कार्य सम्पादित कराया जायेगा ।

अध्यक्ष: आपके पास जो प्रश्न है उसमें उत्तर उत्तरित है । आप पूरक अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं ।

श्री अचमित ऋषिदेव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि दोनों योजनाओं को यथाशीघ्र प्रारम्भ कराया जाय ताकि 265 घरों में जलापूर्त्ति चालू हो सके।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री: महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल है महोदय और माननीय सदस्य को हम आश्वस्त करना चाहतें हैं कि इसी वित्तीय वर्ष में, तीन माह बचा हुआ है, मार्च तक योजना का स्वीकृति भी दे दी जायेगी और कार्य भी प्रारम्भ कर के हर घर में नल का जल उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष: माननीय विधायक, माननीय मंत्री द्वारा सदन में आश्वासन दे दिया गया अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 194(श्री रामप्रवेश राय,क्षेत्र सं0- 100, बरौली)

अध्यक्ष: नहीं हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या- 195 (श्री राम चन्द्र प्रसाद,क्षेत्र सं0- 84,हायाघाट)

अध्यक्ष: नहीं हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या- 196(श्री विजय कुमार खेमका,क्षेत्र सं0-62,पूर्णियां)

अध्यक्ष: नहीं हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या- 197 (डॉ0 निक्की हेम्ब्रम, क्षेत्र सं0- 162,कटोरिया, अ0ज0जा0)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: नहीं हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या- 198 (श्री तारकिशोर प्रसाद, क्षेत्र सं0- 63,कटिहार)

अध्यक्ष: नहीं हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या- 199 (श्री दिलीप राय,क्षेत्र सं0- 26,सुरसंड)

(लिखित उत्तर)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्रीः आंशिक स्वीकारात्मक है ।

आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार समाहर्त्ता, सीतामढ़ी के पत्रांक 90 दिनांक 18-01-2022 द्वारा प्रखंड सह अंचल कार्यालय एवं आवासीय भवन चोरौत के निर्माण से संबंधित भूमि का अभिलेख उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ । उक्त अभिलेख में कतिपय त्रुटि रहने के कारण आयुक्त कार्यालय तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 418 दिनांक 19-02-2022 द्वारा त्रुटियों के निराकरण हेतु समाहर्त्ता, सीतामढ़ी को पत्र प्रेषित किया गया एवं उनके कार्यालय पत्रांक 1487 दिनांक 30-06-2022 द्वारा समाहर्त्ता, सीतामढ़ी को त्रुटियों का परिमार्जन कर शीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु स्मारित किया गया ।

उपर्युक्त के आलोक में समाहर्त्ता, सीतामढ़ी के पत्रांक 1301 दिनांक 05-07-22 द्वारा कतिपय त्रुटियों का परिमार्जन कर संशोधित प्रस्ताव आयुक्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर को प्रेषित की गयी परन्तु प्रस्तावित भूमि के भू-हदबंदी से प्राप्त होने संबंधी गजट दिनांक 11 अगस्त,1992 की छाया प्रति संलग्न नहीं रहने के कारण पुनः आयुक्त कार्यालय तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1593 दिनांक 27-07-2022 द्वारा समाहर्त्ता सीतामढ़ी को प्रासंगिक गजट की छाया प्रति उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इस संदर्भ में आयुक्त कार्यालय, तिरहतु प्रमंडल मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1896 दिनांक 17-09-22 द्वारा समाहर्त्ता, सीतामढ़ी को स्मारित भी किया गया।

समाहर्त्ता, सीतामढ़ी द्वारा अपने पत्रांक 2400 दिनांक 01-10-2022 द्वारा उक्त गजट की प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसके आलोक में प्रस्ताव एवं अभिलेख राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में उपलब्ध कराये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने का उल्लेख आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल,मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदन में की गयी है।

सम्प्रति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में उक्त आशय का प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त है। विभाग में प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री दिलीप रायः पूछता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्रीः महोदय, उत्तर ऑनलाईन दिया जा चुका है । यदि माननीय सदस्य का कोई पूरक हो तो पूछ सकते हैं ।

श्री दिलीप रायः माननीय मंत्री महोदय, एक समय सीमा बतला दिया जाय कि कबतक आयुक्त कार्यालय से जमीन संबंधी रिपोर्ट आ जायेगा ?

अध्यक्षः माननीय मंत्री, राजस्व एवं सुधार विभाग । समय सीमा वे चाहते हैं ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्रीः महोदय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में उक्त आशय का प्रस्ताव एवं अभिलेख अप्राप्त है। विभाग में प्रस्ताव प्राप्त करने के उपरांत इस पर मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी इसलिए प्रस्ताव आने के बाद इस पर कार्रवाई शुरू होगी।

तारांकित प्रश्न संख्या- 200(श्रीमती बीमा भारती,क्षेत्र सं0-60 रूपौली)

(लिखित उत्तर)

श्री ललित कुमार यादव, मंत्रीः आंशिक स्वीकारात्मक ।

पूर्णियां जिलान्तर्गत प्रखंड रूपौली में एकरारनामा के अनुसार कुल 20 पंचायत के 284 वार्डों में से 236 वार्डों में नल जल योजना का कार्य पूर्ण हुआ है शेष 48 वार्डों का कार्य माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण लंबित है। प्रखंड बड़हरा कोठी में एकरारनामा के अनुसार कुल 19 पंचायत के 247 वार्डों में नल जल योजना का कार्य हुआ है ।

प्रखंड रूपौली में निर्मित 236 वार्डों में 236 वार्ड एवं प्रखंड बड़हरा कोठी में निर्मित 247 वार्डों में 247 वार्ड में नल जल योजना चालू है एवं सुचारू रूप से जलापूर्त्ति की जा रही है । कभी कभी विद्युत दोष, लिकेज, स्ट्रार्टर एवं मोटर जलने के कारण योजना बंद होती है जिसे ससमय निराकरण कर योजना चालू कर दी जाती है ।

श्रीमती बीमा भारतीः पूछती हूँ ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव,मंत्री : महोदय, ऑनलाईन उत्तर दिया गया है । कोई पूरक प्रश्न हो तो माननीय सदस्या पूछ सकती हैं।

अध्यक्षः मान्नीय सदस्या, जवाब उपलब्ध करा दिया गया है । आप पूरक पूछना चाहती हैं तो पूरक पूछिये ।

(व्यवधान जारी)

श्रीमती बीमा भारतीः रूपौली विधान-सभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग वाला काम कबतक हो जायेगा, यह हम जानना चाहते हैं ?

श्री ललित कुमार यादव, मंत्रीः महोदय, माननीय उच्च न्यायालय में 14 वार्ड में नल जल योजना का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, वह मामला माननीय न्यायालय में लंबित है । माननीय न्यायालय से न्याय निर्णय के उपरांत शीघ्र कार्य प्रारंभ हो जायेगा।

अध्यक्षः मान्नीय सदस्या, आपका जो समस्या है वह माननीय न्यायालय में लंबित है मैटर, सबज्यूडिश है इसलिए उस प्रश्न का जवाब, जबतक उसका फैसला माननीय न्यायालय का नहीं हो जाता है तबतक आपके प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री नहीं देंगे । आप स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान जारी)

टर्न-4/मधुप/15.12.2022

तारांकित प्रश्न संख्या-201(श्री संजय सरावगी, क्षेत्र सं0 83, दरभंगा)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी । श्री संजय सरावगी । नहीं पूछे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष का ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए । नेता प्रतिपक्ष को इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए । आप अपना स्थान ग्रहण करें, समय पर आपको भी बोलने का अवसर देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-202(श्री मोहम्मद कामरान, क्षेत्र सं0 238, गोविन्दपुर)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मोहम्मद कामरान । नहीं हैं ।

(इस अवसर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में बैठ गए)

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या-203(श्री सुधांशु शेखर, क्षेत्र सं0 31, हरलाखी)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री (लिखित उत्तर) : आंशिक स्वीकारात्मक । समाहर्त्ता, पटना के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि विक्रेता प्रशांत कुमार मिश्र, पिता-कौशल किशोर मिश्र द्वारा फुलवारीशरीफ अंचल के मौजा-बेतौड़ा में थाना-94, थाना कोड-146, खाता नं0-126, खेसरा नं0-658, रकबा-4.5922 डी0 भूमि में से 2.2961 डी0 भूमि रूपम कुमारी, पति-चन्दन कुमार एवं 2.2961 डी0 भूमि सुजीता कुमारी, पति-मुकेश कुमार को बिक्री कर दिया गया ।

उक्त के आलोक में दाखिल-खारिज वाद सं0 5511/2018-19 द्वारा रकबा 2.2961 डी0 भूमि की जमाबंदी भाग सं0-19, पृष्ठ सं0-62, ऑनलाईन कम्प्यूटराईज जमाबंदी 212140200149832 पर रूपम कुमारी के नाम से दर्ज हुई । इसी प्रकार दाखिल-खारिज वाद सं0-5512/2018-19 द्वारा रकबा-2.2961 डी0 की जमाबंदी भाग सं0-19, पृष्ठ सं0-63 ऑनलाईन कम्प्यूटराईज जमाबंदी- 212140200149833 पर सुजीता कुमारी के नाम से दर्ज हुई । तदोपरान्त बिक्रेता प्रशांत कुमार मिश्र, पिता-कौशल किशोर मिश्र की जमाबंदी संख्या-4252 में रकबा - शून्य हो गया है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : हम आपको अवसर देंगे । समय पर हम आपको अवसर देंगे ।

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, उत्तर ऑनलाईन दिया जा चुका है । माननीय सदस्य ने जिस विषय पर प्रश्न किया है...

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, माननीय मुख्य सचेतक कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : ऐसा आचरण न कीजिए । नेता प्रतिपक्ष का यह आचरण शोभनीय नहीं है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सदन में अच्छे ढंग से अल्पसूचित प्रश्न के जवाब आ रहे थे और तारांकित प्रश्न के भी जवाब आ रहे हैं । नेता विरोधी दल ने जिस तरह से उकसा कर माननीय महिला सदस्यों को आगे किया और मेज थपथपाने के लिए उनको बाध्य कर रहे हैं और खुद माननीय विरोधी दल के नेता जिस तरह से उत्तेजना सदन में फैला रहे हैं, इसमें संसदीय जो परम्परा है, संसदीय जो व्यवस्था है, जिनको बिहार विधान सभा के कार्य संचालन नियमावली में विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, इस तरह के आचरण और व्यवहार कर रहे हैं हमारे विरोधी दल के नेता । मैं आसन से आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे विरोधी दल के नेता के आचरण पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए और माननीय सदस्यों के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, उसमें विपक्ष के भी माननीय सदस्यों के सवाल हैं । महोदय, इनको साहस नहीं है कि ये सवाल का जवाब ले सकें । सदन के अन्दर इनको साहस नहीं है कि इन सवालों का जवाब ले सकें ।

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर सत्तापक्ष के भी माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

महोदय, इनका जो आचरण हैं, इनके जो व्यवहार हैं, कार्य संचालन नियमावली में इनको भरोसा और विश्वास नहीं है इसलिए आसन से आग्रह करना चाहता हूँ कि इनके विरूद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री श्रवण बाबू, आप अपना स्थान ग्रहण करें । बैठ जायं ।

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर ऑनलाईन उपलब्ध है....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष को वहॉ नहीं जाना चाहिए । यह प्रजातंत्र के लिए खतरनाक बात होगी । सदन में अव्यवस्था फैलाने का काम नहीं करना चाहिए । आपको बोलवायेंगे, आप इंतजार कीजिए। बोलवायेंगे, अभी हमारा क्वेश्चन आवर है ।

मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, उत्तर ऑनलाईन उपलब्ध है । जिस विषय पर माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है उसमें उसका पूरा समाधान है । इसमें अब कोई अनुपूरक का सवाल नहीं उठना चाहिए । लेकिन यदि कोई अनुपूरक है तो पूछें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुधांशु शेखर जी, अगर कोई अनुपूरक आपको पूछना है तो आप पूछिये, लम्बा न बनाइये । आपका उद्देश्य पूरा हो, उसपर आप पूरक पूछिये ।

श्री सुधांशु शेखर : महोदय, मेरा पूरक है कि विभाग द्वारा पंजी-2 के प्रतिवेदन सूची में आज की तिथि में क्रमांक-1 पर रैयत का नाम प्रशांत कुमार मिश्रा में तो रकबा शून्य कर दिया गया, किन्तु उसी प्रशांत कुमार मिश्रा के नाम एक और रकबा क्रमांक 109 पर भी विभाग द्वारा वर्ष 2018 में बना दिया गया है जो क्रमांक-1 के समरूप है । क्रमांक-109 को अब तक शून्य नहीं किया गया है तो सरकार इस त्रुटि को कब तक दूर करने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, मैं उसे देखवा लेता हूँ । यह बिल्कुल पर्सनलाइज्ड है, उसको मैं देखवा लेता हूँ और जो समाधान हो सकता है उसको किया जायेगा ।

(व्यवधान जारी)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-204 (श्री जितेंद्र कुमार, क्षेत्र सं0 171, अस्थावाँ)</u>

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- अस्वीकारात्मक है । खरीफ विपणन मौसम, 2022-23 में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य कृषि विभाग द्वारा प्रतिवेदित अनुमानित उत्पादन 1,92,217 मि0टन निर्धारित किया गया है ।

3- अस्वीकारात्मक है ।

4- धान उत्पादन के अनुमानित आंकड़ों के आधार पर जिलों का अधिप्राप्ति लक्ष्य निर्धारित किया गया है । अतः लक्ष्य बढ़ाने का प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, यह उच्चस्तरीय बैठक के बाद लक्ष्य निर्धारण किया गया है । इसलिये अभी इसपर कोई विचार नहीं किया जा सकता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी द्वारा आपके प्रश्न के समाधान के लिए जो कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई से आपको माननीया मंत्री ने अवगत करा दिया । मैं चाहूँगा कि अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या–205 (श्री राणा रणधीर, क्षेत्र सं0 18, मधुबन)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर । नहीं बोलेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–206 (श्री मुहम्मद इजहार असफी, क्षेत्र सं0 55, कोचाधामन)

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि प्रखंड कोचाधामन में गरगाँव पंचायत के वार्ड 9 में ''हर घर नल का जल'' योजना के तहत जलापूर्ति करते हुए करीब 100 घरों में जलापूर्ति दी जा रही है ।

वार्ड संख्या 9 में राजा मोहरा/कब्रिस्तान टोला इत्यादि जो मूल योजना से 1 किलोमीटर दूर है, में करीब 150 छूटे हुये घरों में एक अदद नये नलकूप के साथ योजना की आवश्यकता है । योजना के निर्माण हेतु सर्वेक्षण का कार्य कराया गया है । विचलन प्रस्ताव की स्वीकृति कराकर कार्य अविलम्ब कराया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुहम्मद इजहार असफी, आपके प्रश्न के साथ ही उसका जवाब मुद्रित है । अगर आप कुछ पूरक पूछना चाहते हैं तो पूछें ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : ठीक है । जवाब से मैं संतुष्ट हूँ ।

तारांकित प्रश्न संख्या–207 (श्री सूर्यकान्त पासवान, क्षेत्र सं0 147, बखरी(अ0जा0)

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : आंशिक स्वीकारात्मक । बेगूसराय जिला के बखरी प्रखंड अंतर्गत राटन पंचायत के वार्ड नं0–11 और 12 में नल जल योजना अंतर्गत एकरारनामानुसार प्रावधानित सभी अवयवों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।

वार्ड संख्या-11 अंतर्गत सभी घरों में इस योजना से सुचारू रूपेण जलापूर्ति चालू है ।

वार्ड संख्या-12 में भी सुचारू रूप से जलापूर्ति चालू है । किन्तु वार्ड संख्या 12 में एक टोला जो सड़क के दूसरी ओर रहने के कारण आच्छादित नहीं किया जा सकता है, उसमें कुल घरों की संख्या लगभग 160 है, इसके आच्छादन हेतु भी प्रस्ताव तैयार करने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया है । तदुपरांत सभी घरों को योजना से आच्छादित कर लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : महोदय, ऑनलाईन जवाब दिया हुआ है । यदि माननीय सदस्य का कोई पूरक प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर आप कोई पूरक पूछना चाहते हैं तो आप अपना पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, जवाब जो दिया गया है, पदाधिकारी गलत जवाब दिये हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या गलत जवाब देने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : महोदय, प्रश्न का जो ऑनलाईन जवाब दिया गया है उसमें स्पष्ट है, कोई गलत जवाब नहीं है और विभाग के किसी पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई का सवाल नहीं है ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, जो जवाब दिया गया है, मैंने प्रश्न में दिया है कि वार्ड नं0 11 और 12 में नल-जल योजना का काम हुआ ही नहीं है, इसकी जॉच माननीय मंत्री महोदय करवा लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, अपने स्तर से आपने तो जवाब दे ही दिया कि कोई कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता है लेकिन आप इसको देखवा लेंगे कि नियमानुसार क्या हो सकता है ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर में दिया हुआ है । कुछ घर छूटे हुये हैं जो माननीय सदस्य की चिन्ता है, घर छूटे हुये हैं जो वार्ड के दूसरे टोला में पड़ते हैं, उसका हमलोग प्रस्ताव बना लिये हैं, प्रस्ताव स्वीकृत कराकर कार्य प्रारम्भ करवा दिया जायेगा ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, उस वार्ड में काम हुआ ही नहीं है, गलत रिपोर्ट दिया गया है ।

टर्न-5/आजाद/15.12.2022

तारांकित प्रश्न सं0-208(श्री महबूब आलम,क्षेत्र सं0-65,बलरामपुर)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।

श्रीमती लेशी सिंह,मंत्री : खंड-क आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

अध्यक्ष : प्रश्न में ही उत्तर उत्तरित है ।

(लिखित उत्तर)

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : 1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।

2. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा जनता में वितरण के लिये जन-वितरण प्रणाली बिक्रेताओं को उपलब्धता के आधार पर उसना या अरवा चावल की आपूर्ति की गयी है ।

3. खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में जिलों में किसानों से अधिप्राप्त धान के समतुल्य उसना मिलों की कुटाई क्षमता के अनुसार उसना चावल प्राप्त कर लक्षित जन-वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभुकों को वितरित करने का निर्देश निर्गत किया जा चुका है । तदनुसार उपभोक्ताओं को उसना चावल उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ सकते हैं ?

श्री महबूब आलम : महोदय, मैं पूरक पूछता हूँ । जवाब दिया गया है कि अरवा चावल और उसना चावल की आपूर्ति की जाती है । बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र में उसना चावल की आपूर्ति अब तक नहीं की गई है और दूसरा जो जवाब है महोदय, अगर इन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है तो निर्देश की सूचना क्या हमलोगों को दी जायेगी और कब तक आपूर्ति करने का इनका प्लानिंग है ?

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जो लोग उसना चावल उठाते हैं, उनके डिमांड पर पिछले वर्ष ही उसना चावल कुटाई करने का आदेश दिया था।

पिछले वर्ष 33 प्रतिशत हमलोग उसना चावल प्राप्त कर पाये थे, इस बार हमलोगों का लक्ष्य है कि 77 प्रतिशत उसना चावल को मिलों से कुटाई करवा सकेंगे । जैसे ही उपलब्धता होगी, उस आधार पर हमलोग पिछले वर्ष भी उसना चावल करवाये थे 33 प्रतिशत और शेष अरवा चावल दिया गया लाभुक को, इस बार भी जैसे ही हमारा सी0एम0आर0 आ जायेगा उसना चावल का, हमलोग इस बार 77 प्रतिशत का लक्ष्य रखे हैं, वैसे ही बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र में भी हमलोग उसना चावल उपलब्ध करा देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी का जवाब है कि हम उसना चावल उपलब्ध करायेंगे । इसलिए आप संतुष्ट हो जायं और सरकार इस दिशा में कार्रवाई कर रही है ।

तारांकित प्रश्न सं0-209(श्री विनय कुमार, क्षेत्र सं0-225,गुरूआ)

(लिखित उत्तर)

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक है ।

खरीफ 2022 के अक्टूबर माह में धान के पौंधों में भौरा मधुआ कीट लगने एवं उससे फसल नुकसान की शिकायत गया सहित राज्य के कुछ अन्य जिलों से प्राप्त हुई थी जिसके आलोक में कृषि विभाग के राज्य स्तर एवं जिला स्तर के पौंधा संरक्षण के पदाधिकारी/कर्मी द्वारा इस कीट से फसलों के बचाव हेतु किसानों को आवश्यक परामर्श एवं दिशा-निर्देश दिया गया ।

आपदा प्रबंधन विभाग के एन0डी0आर0एफ0 एवं एस0डी0आर0एफ0 प्रावधान के अनुसार प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़/सुखाड़/ओलावृष्टि/भूस्खलन से हुई 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान देय है । इसके अतिरिक्त शीतलहर/पाला से फसलों को 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान देय है ।

इस योजनान्तर्गत कीट पतंगों से हुई फसलों की क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान वितरण का प्रावधान नहीं है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, इसका ऑनलाईन जवाब भेजवा दिया गया है, अगर उनके पास जवाब उपलब्ध है तो वे पूरक पूछ सकते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर आप पूरक पूछना चाहते हैं तो पूरक पूछें ?

श्री विनय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जवाब दिया है कि हम सिर्फ ओलावृष्टि से, सुखा से या आपदा सुखाड़ से, भूस्खलन से जो क्षति होती है, उसका हमलोग क्षतिपूर्ति देते हैं । लेकिन गया जिला में एक कीट आया है–भौरा मधुआ कीट, जिससे 17727 हेक्टेयर वहां पर धान की फसल को कीट खा चुका है । इनके विभाग से यह उत्तर आया है । वहां पर 17727 हेक्टेयर में किसान जो अपना बीज लगाये, धान का उत्पादन किये और वह क्षति हो गई, इसके मुआवजा के तौर पर अगर किसान को कोई राशि नहीं दी जायेगी तो वह किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जायेगा । इसलिए इसके बारे में भी सरकार से कुछ न कुछ जो भी सरकार का प्रावधान है, उसको कृषि इनपुट अनुदान दिया जाना चाहिए, हमारी यह मांग है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, यह बात सत्य है कि बड़े पैमाने पर मौसम जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़े पैमाने पर कुछ जिलों में मधुआ कीट की बीमारी आयी और इस बीमारी का हमलोगों ने अपने डिपार्टमेंट से कई अधिकारियों को हमलोगों ने भेजा इसकी जॉच के लिए और जॉच हुई महोदय और जॉच के दरम्यान महोदय, चूँकि आपदा प्रबंधन यह कहती है कि प्राकृतिक, कोई आपदा से किसी की मौत हो जाती है, ओलावृष्टि से किसी का धान की खेती बर्बाद हो जाती है, तभी मुआवजा मिलता है । किसी व्यक्ति विशेष या आपदा में है कि अगर किसी व्यक्ति को नेचुरल मौत होती है तो उनको कोई मुआवजा नहीं मिलती है । ये चूँकि बीमारी से, बड़े पैमाने पर बीमारी हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है तो इसका मुआवजा का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है लेकिन महोदय, हमारे जो अधिकारी हैं, सचिव महोदय हैं, उनके द्वारा लगातार इसपर मॉनिटरिंग की जा रही है और इन्होंने आपदा से लेकर के इसमें जो भी आते हैं, आपदा का मामला बनता है, इसके संबंध में वार्तालाप हो रही है । अगर महोदय, कोई रास्ता निकलता है तो निश्चित हम किसान के बेटे हैं, किसान के हित की बात करते हैं । अगर कोई रास्ता निकलेगा तो हमलोग जरूर देंगे । फिलहाल अभी इसपर कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है कि बीमारी से जो फसल बर्बाद हुई है, उसका हम कोई मुआवजा दे सकें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनय कुमार जी, आपने दो-दो पूरक पूछ लिया और माननीय मंत्री जी ने पूरा सकारात्मक जो फैक्ट है, वह बतलाने का काम उन्होंने किया है । कृपया अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

तारांकित प्रश्न सं0-210 (श्री बीरेन्द्र सिंह,क्षेत्र सं0-234,बजीरगंज)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बीरेन्द्र सिंह ।

नहीं हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0-211(श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन,क्षेत्र सं0-133,समस्तीपुर)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : इसका ऑनलाईन जवाब दिया गया है ।

अध्यक्ष : ऑनलाईन जवाब आपको दिया गया है, सप्लीमेंट्री पूछिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अगर इनके पास नहीं है तो हम पढ़ देते हैं ।

1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बरसात में जल-जमाव होने की स्थिति में नगर निगम, समस्तीपुर द्वारा पम्पसेट/सक्शन मशीन लगाकर एवं सफाईकर्मियों के माध्यम से जल निकासी की जाती है ताकि जल-जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सके ।

2. आत्मनिर्भर, बिहार के सात निश्चय-2 के अन्तर्गत नगर निकायों में जल-जमाव की समस्या के निदान हेतु स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना का कार्यान्वयन किया जाना है । नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक-2317, दिनांक 17.12.2021 द्वारा स्टार्म वाटर ड्रैनेज योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राथमिकता निर्धारित है । इसी क्रम में निर्धारित प्राथमिकता एवं राशि की उपलब्धता के आलोक में नगर निगम, समस्तीपुर के लिए भी स्टार्म वाटर ड्रैनेज सिस्टम योजना की स्वीकृति दी जा सकेगी । इसमें महोदय, संज्ञान में यह मामला समस्तीपुर का है, जल-जमाव की जो स्थिति है, जैसे इसमें स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना के तहत प्राथमिकता तय की गयी है । उसी के तहत निधि की उपलब्धता होते ही हमलोग इसको लेकर के कार्रवाई करेंगे ।

(व्यवधान जारी)

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद, समस्तीपुर पर विशेष ध्यान देने के लिए ।

तारांकित प्रश्न सं0-212(श्री विद्या सागर केशरी,क्षेत्र सं0-48,फारबिसगंज)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-213(श्री मुरारी मोहन झा ,क्षेत्र सं0-86,केवटी)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-214(श्री अनिल कुमार,क्षेत्र सं0-24,बथनाहा(अनु0जा0)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-215(श्री विनय बिहारी ,क्षेत्र सं0-5,लौरिया)

अध्यक्ष : नहीं हैं ।

टर्न-6/शंभु/15.12.22

तारांकित प्रश्न सं0-216(श्री मनोज यादव)क्षेत्र सं0-163 बेलहर

श्री कुमार सर्वजीत,मंत्री : महोदय, ऐसे तो हमने इनको उत्तर दे दिया है, अगर आपकी अनुमति हो और माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं फिर से पढ़ सकता हूँ ।

अध्यक्ष : आपके प्रश्न का जवाब ऑनलाइन दे दिया गया है । आपको मिल गया है तो आप पूरक पूछ लीजिए, सदन का समय जाया नहीं होगा ।

श्री मनोज यादव : एक बार पढ़ दें सर ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप अपने स्थान पर जाइये । आज जिस जगह से बोल रहे हैं वह उपयुक्त जगह माननीय सदस्य का नहीं है । माननीय मंत्री जी पढ़िये ।

श्री कुमार सर्वजीत,मंत्री : महोदय, 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वित्तीय वर्ष 2021-22 में बांका जिलान्तर्गत जल छाजन के माध्यम से 30 लाख रूपये व्यय हुआ है । वित्तीय वर्ष-2022-23 में 6 करोड़ रूपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है । जिसमें अब तक कुल 1.28 करोड़ मात्र व्यय किया गया है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- जल छाजन की योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है । जिसका नाम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलछाजन विकास 2.0 है । भारत सरकार की मार्गदर्शिका के आलोक में लाभान्वितों के सम्मिलित जल छाजन समिति द्वारा चयनित लाभुक के द्वारा कार्य कराया जाता है । जल छाजन समिति के अध्यक्ष स्थानीय मुखिया होते हैं । सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी, सहायक निदेशक- सहायक निदेशक सह भूमि संरक्षण एवं उपनिदेशक, भूमि संरक्षण द्वारा सतत् रूप से किया जाता है । साथ ही समय समय पर जल छाजन की योजनाओं का पर्यवेक्षण मुख्यालय स्तर से भी हमलोग जॉच कराते रहते हैं। किसी योजना का अगर विशेष माननीय सदस्य को किसी योजना पर है कि उक्त योजना में गड़बड़ी हुई है तो अगर माननीय सदस्य हमें लिखित रूप से देते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने यहां से अधिकारियों को भेजकर पूरी इसकी हम जॉच करायेंगे और उस जॉच में कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो हम उनपर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आसन पूरी निष्पक्षता के साथ कार्य संचालन नियमावली के मुताबिक अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है और आप प्रजातंत्र की हत्या के रूप में, आप नाजायज तरीके से वेल में आकर जनहित के कार्यों में बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं । यह कहीं से लोकतांत्रिक जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं है । आपकी विधान सभा कार्य संचालन नियमावली में जो व्यवस्था है उसके बिलकुल आप विरूद्ध आचरण कर रहे हैं ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं0-217(श्री हरीभूषण ठाकुर बचोल)क्षेत्र सं0-35 बिस्फी

(नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप पहले जगह पर आइये समय दूंगा, पहले जगह पर आइये । माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री जी, एक मिनट स्थान ग्रहण कर लें । माननीय सदस्यगण, सरकार के सभी विभागों से आज शत प्रतिशत उत्तर प्राप्त हुए हैं । आप भी उत्तर पढ़कर आये हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद । सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद और माननीय मुख्यमंत्री जी को,

माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद । सभी हमारे जो माननीय मंत्री हैं सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

(व्यवधान जारी)

आपका भी सब सवाल आया हुआ है और आप नहीं पूछे । अरे वहां तो बैठवा दीजिए । बैठवाइये जगह पर । जगह पर बैठवाइये, शत प्रतिशत जवाब आया है ।

तारांकित प्रश्न सं0-218(श्री रणविजय साहू)क्षेत्र सं0-135 मोरवा

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : 1- उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग अन्तर्गत नवगठित नगर निकायों के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु समीपवर्त्ती नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है । राज्य में नये नगर निकायों के गठन के फलस्वरूप अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गयी है ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना सं0-2618 दिनांक-17.08.2021 द्वारा नगर परिषद् ताजपुर एवं नगर परिषद् शाहपुर पटोरी का अतिरिक्त प्रभार क्रमशः नगर आयुक्त, नगर निगम, समस्तीपुर तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दलसिंह सराय को दिया गया है ।

3- उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

ऑनलाइन जवाब दिया गया है अगर कोई सप्लीमेंट्री हो तो बतायें । अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ देंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : रणविजय साहू जी, आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिल चुका है अगर आप संतुष्ट हैं तो सप्लीमेंट्री न पूछें और अन्य को पूछने का अवसर दें ।

श्री रणविजय साहू : जी धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-219(श्री नीतीश मिश्रा)क्षेत्र सं0-38 झंझारपुर

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया ।)

तारांकित प्रश्न सं0-220(श्री अनिल कुमार)क्षेत्र सं0-24 बथनाहा

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया।)

तारांकित प्रश्न सं0-221(श्रीमती मंजु अग्रवाल)क्षेत्र सं0-226 शेरघाटी

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : 1- वस्तुस्थिति यह है कि गया जिला अन्तर्गत शेरघाटी अनुमंडल में नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-2779 दिनांक-14.12.2021 द्वारा स्थायी बस स्टैंड निर्माण योजना की प्रशासनिक/पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है ।

2-नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-2279 दिनांक 14.12.2021 द्वारा गया जिलान्तर्गत नगर परिषद्, टिकारी क्षेत्रान्तर्गत बस स्टैण्ड निर्माण योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या मंजु अग्रवाल जी, माननीय मंत्री जी के जवाब से आप संतुष्ट हैं या कुछ पूछना चाहती हैं तो पूरक पूछ सकती हैं ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : संतुष्ट हैं सर, लेकिन जल्दी करवाया जाय ।

अध्यक्ष : जल्दी करवाया जाय ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : महोदय, इसमें जवाब में साफ-साफ दिया गया है कि गया जिला अन्तर्गत नगर परिषद्, टिकारी क्षेत्रान्तर्गत बस स्टैंड निर्माण योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आपके प्रश्न का जवाब सही तरीके से हो गया है आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

तारांकित प्रश्न सं0-222(श्री पंकज कुमार मिश्र)क्षेत्र सं0-29 रून्नी सैदपुर

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग में स्थानान्तरित किया गया है ।

तारांकित प्रश्न सं0-223(श्री अजीत कुमार सिंह)क्षेत्र सं0-201 डुमरांव

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । अंचल डुमरांव में थाना नं0-168 नगर परिषद् के अन्तर्गत है । जिसका सर्वे 1988-89 में कराया गया था, लेकिन सर्वे त्रुटिपूर्ण रहने के कारण आज भी नगर परिषद् में थाना नं0-168 की जमाबंदी (पंजी-2) पुराने सर्वे यानि सी0एस0 के आधार पर ही कायम है । थाना नं0- 168 डुमरावं नगर परिषद क्षेत्र की जमाबंदी में पुराने एवं नये दोनों की खतियान के आधार पर जमाबंदी दर्ज है । इसका कारण 1988-89 को नगरपालिका सर्वे के त्रुटिपूर्ण होना है । एल0पी0सी0 एवं दाखिल खारिज की प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी रैयतों को नहीं होती है । संबंधित रैयत जिस खतियान (सी0एस0/आर0एस0) के आधार पर अपनी जमाबंदी की रसीद कटाते हैं । उसी के आधार पर उनकी एल0पी0सी0 निर्गत की जाती है । इससे संबंधित जमीनी विवाद को अंचल अमीन से मापी कर निपटारा कर दिया जाता है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, जवाब आया है मैं पूरक पूछता हूँ और पूरक ये है कि विभाग ने स्वीकार किया है कि सर्वे त्रुटिपूर्ण है और यदि सर्वे त्रुटिपूर्ण है तो पूर्ण काम कैसे होगा, जवाब बहुत ही भेग तरीके से दिया गया है । वहां एल0पी0सी0 निर्गत नहीं किया जा रहा है । एल0पी0सी0 निर्गत नहीं किये जाने के वजह से गरीबों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और यही सच है । मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इसके व्यवहारिक पक्ष की जॉच कराकर उसपर कार्रवाई करें क्योंकि जो जवाब दिया गया है यह बिलकुल ही भेग है और बिलकुल ही सही नहीं है ।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : उसकी जॉच करवा ली जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री उसकी जॉच करवा लेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-224(श्री चन्द्रहास चौपाल) क्षेत्र सं0-72 सिंहेश्वर</u>

(उत्तर मुद्रित)

श्री ललित कुमार यादव,मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । वर्णित दोनों वार्डों में पाइन लाइन में लिकेज की समस्या थी । वर्तमान में मधेपुरा जिलान्तर्गत प्रखंड शंकरपुर के पंचायत रायभीड़ के वार्ड सं0-5 एवं 9 में अधिष्ठापित योजना के पाइप लाइन को मरम्मति करवाकर हर घर में जलापूर्ति दी जा रही है । साथ ही सिंहेश्वर प्रखंड के ईटहरी गोहमनी

पंचायत के भी वार्ड नं0-3 एवं 7 में अधिष्ठापित योजना के पाइप लाइन के लिकेज की मरम्मति करवाकर जलापूर्ति दी जा रही है । माननीय सदस्य का कोई पूरक प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर आप पूरक पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : महोदय, मैं जवाब से संतुष्ट हूँ और माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमारे विधान सभा में लगभग सभी पंचायत में पाइप लाइन से जलस्राव हो रहा है इसकी जल्द मरम्मति करा दें ।

अध्यक्ष : आप जल्द मरम्मति करा देंगे जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं ।

(व्यवधान जारी)

श्री ललित कुमार यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न आया उसके पहले हमलोग मरम्मति का कार्य करा दिये साधारण लीकेज और विद्युत् दोष के कारण कहीं-कहीं होता है लेकिन विभाग तत्पर रहता है, तुरंत उसपर कार्रवाई होती है । अगर माननीय सदस्य का कोई स्पेशफिक जगह हो तो ये लिखकर दे दें हम वहां भी करा देंगे ।

अध्यक्ष : सरकार बिलकुल तत्पर है, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-225(श्रीमती बीमा भारती)क्षेत्र सं0-60 रूपौली</u>

श्री ललित कुमार यादव,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब ऑनलाइन दिया हुआ है यदि माननीय अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो तो हम पढ़ दें नहीं तो ऑनलाइन जवाब दिया हुआ है और माननीय सदस्या पूरक प्रश्न पूछ सकती हैं ।

श्रीमती बीमा भारती : पढ़कर सुना दिया जाय ।

अध्यक्ष : आप पढ़कर सुना दें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । पूर्णियां जिलान्तर्गत प्रखंड रूपौली में एकरारनामा के अनुसार कुल 20 पंचायत में 284 वार्डों में से 236 वार्डों में नलजल

योजना का कार्य पूर्ण हुआ है । शेष 48 वार्डों का कार्य माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण लंबित है । प्रखंड बरहारा कोठी में एकरारनामा के अनुसार कुल 19 पंचायत के 247 वार्डों में नलजल योजना का कार्य हुआ है । प्रखंड रूपौली में निर्मित 236 वार्डों में से 236 वार्ड एवं प्रखंड बरहरा कोठी में निर्मित 243 वार्डों में 243 वार्ड में नलजल योजना चालू है एवं सुचारू रूप से जलापूर्ति की जा रही है । कभी-कभी विद्युत् दोष, लीकेज, स्टाटर एवं मोटर जलने के कारण योजना बंद होती है जिसे ससमय निराकरण कराकर योजना चालू करा दी जाती है ।

श्रीमती बीमा भारती : अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट जिला से दिया गया है वह रिपोर्ट गलत है कहीं भी नलजल की जो योजना है हमारे विधान सभा रूपौली के बरहरा प्रखंड में सभी जगह बंद है ।

टर्न-7/पुलकित/15.12.2022

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाए । अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण आज दिनांक- 15 दिसम्बर, 2022 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :

श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री संजय सरावगी, श्री जिवेश कुमार, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री जनक सिंह जी । आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान जारी)

मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहता हूँ कि आप अपने माननीय सदस्यों को कहिये कि वे वेल से आयें और जो उनका अपना स्थान निर्धारित है उसको ग्रहण करें । ग्रहण करने के बाद अगर आसन से आप आग्रह करेंगे और आसन से इजाजत दी जायेगी तभी आप अपनी बात को कह सकते हैं । पहले आप नियंत्रित कीजिये और आप अपने सदस्यों को अपने स्थान पर जाने के लिए आग्रह कीजिये।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

<u>शून्यकाल</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामप्रीत पासवान ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा प्राप्त है, किंतु उर्दू शिक्षक, अनुवादक उर्दू मशावरती कमेटी, उर्दू अकादमी के रिक्त पदों पर बहाली करने में सरकार टाल-मटोल कर उर्दू भाषा को समाप्त करने की साजिश कर रही है ।

अत: मैं सदन के माध्यम से सरकार से उर्दू के साथ न्याय करने की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप नेता प्रतिपक्ष हैं और तेजस्वी बाबू भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं । आप क्या नियमावली दिखा रहे हैं ? नियमावली के तहत जो व्यवस्था है उसकी आप अवहेलना कर रहे हैं । नियम पर आप नहीं चल रहे हैं ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, सरकार की समग्र शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक प्रखड में डिग्री कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव है, मोरवा में डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अत: जनहित में मोरवा डिग्री कॉलेज के स्थापना की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप एक बार भी अपने सदस्यों को नहीं कहते हैं कि अपने स्थान पर आकर बैठ जाइये । जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, वे बराबर हमलोगों को कहते थे कि आपलोग वेल में नहीं जाइये लेकिन आप एक बार भी अपने मुँह से इस बात को नहीं कहें । ऐसा नहीं होता है । आप नेता प्रतिपक्ष कहलाते हैं और नेता प्रतिपक्ष के जो दायित्व होते हैं उस दायित्व का निर्वहन आप नहीं कर रहे हैं ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

माननीय सदस्य श्री अरूण सिंह ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत बिहार प्रदेश में 51 लाख रह रहे दिव्यांगजनों के हित में 46 सूत्रीय मांगों को लागू करने संबंधी सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ ।

श्रीमती नीतु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, हिसुआ विधान सभा के अकबरपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों यथा सकरपुरा, बडैल, भनैल लोदिपुर, पंचरूखी, वकसंडा, मालिकपुर नेमदारगंज, लेदहा एवं पंचगांवा सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए किसानों को उचित मुआवजा प्रदान कराने की मैं सरकार से मांग करती हूँ ।

श्री भरत बिन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिलान्तर्गत प्रखंड भभुआ पंचायत रूपपुर के ग्राम-गोराईपुर में दुर्गावती नदी पर पुल का निर्माण हुआ है । अप्रोच रोड नहीं बनने के कारण दर्जनों गांवों की जनता को आवागमन में काफी परेशानी होती है ।

अत: उक्त नदी पर अप्रोच रोड बनवाने की सरकार से मांग करता हूँ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, नियोजित एवं नियमित सभी प्रकार के कर्मियों के लिए बिहार सरकार से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करता हूँ ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिलान्तर्गत रजौली प्रखण्ड के हरदिया में 14 अक्टूबर को 23 गरीब परिवारों के घरों को कोर्ट के आदेश से तोड़ दिया गया, जबकि कर्पूरी ठाकुर के समय फुलवरिया जलाशय के विस्थापितों को यहाँ बसाया गया था ।

सभी उजाड़े गए परिवारों को फिर से बसाने की मांग करता हूँ ।

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, तेघड़ा विधान सभा स्थित तेघड़ा प्रखंड के चिल्हाय पंचायत में खिद्दिरचक में वलान नदी पर हजारों लोगों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए पुल निर्माण की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नगर पंचायत रानीगंज में एनएच 327 ई0 के बगल में स्थित बस स्टैंड सड़क से काफी गहरे में है, जिससे बारिश होने पर जलजमाव हो जाता है ।

अतः बस स्टैंड को एनएच के लेवल में करते हुए सौन्दर्यीकरण करने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री भीम कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखंड में निर्माणाधीन हमीदनगर बैराज की वितरणी के लिए अर्जित भूमि का मुआवजा पुरानी दर पर दिया जा रहा है, जबकि वहीं एन0टी0पी0सी0, नवीनगर द्वारा नई दर पर दिया जा रहा है ।

अतः भू-मुआवजा नई दर पर दिये जाने की मांग करता हूँ ।

श्री सत्येदव राम : अध्यक्ष महोदय, माईक का साउण्ड ठीक नहीं है, आवाज नहीं आ रही है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सत्येदव राम जी आपकी आवाज तो स्वयं अपने आप में माईक है। माननीय सदस्य श्री भूदेव चौधरी ।

श्री भूदेव चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिलान्तर्गत रजौन प्रखंड के सुजालकोरामा राजडाढ़ से गोराडीह पासवान टोला तक लगभग 2 किलोमीटर सड़क कच्ची एवं जर्जर है, जिससे आवागमन में काफी कठिनाइयां होती है ।

अतः जनहित में अविलम्ब सड़क की मरम्मती एवं कालीकरण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

टर्न-8/अभिनीत/15.12.2022

श्री अजीत कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में टी0ई0टी0, बी0टी0ई0टी0 एवं सी0टी0ई0टी0 पास अभ्यर्थियों के शिक्षक नियोजन के छठे चरण की तकनीकी बाध्यताओं को दूर कर सातवें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण के पजियरवा समेत बिहार के कई जिलों में हाईकोर्ट के आदेशानुसार घर तोड़े गये हैं । आगे बेतिया जंगी मस्जिद रोड की दुकानों समेत हजारों गरीबों के घर तोड़ने की सूचना दी गई है । सरकार से अध्यादेश लाकर इसे रोकने और पुनर्वास की मांग करता हूँ ।

श्री महानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, अरवल के परासी गाँव में अग्निकांड में माँ-बेटी की दर्दनाक मौत हो गयी । अइयारा में एक दलित की बेरहमी से हत्या कर दी गई । अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषियों को सजा देने, दोनों पीड़ित परिवारों को 20 लाख रुपये मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देने की माँग करता हूँ ।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार द्वारा मदरसों में नियोजित नये हाफिजों को मौलवी के समकक्ष वेतन भुगतान की जा रही है परंतु नियुक्त पुराने हाफिजों को मौलवी के समकक्ष वेतन नहीं दिया जा रहा है ।

अतएव पुराने नियुक्त हाफिजों का भी मौलवी के समकक्ष वेतन की माँग सदन के माध्यम से करता हूँ ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत माध्यमिक शिक्षक नियोजन इकाई, शेरघाटी को प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय के पूर्व प्रभारी श्री राजकुमार सिंह के द्वारा छात्रकोष से अवैध निकासी के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था ।

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने की माँग करती हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सत्यदेव राम जी, विशेष आवश्यकता के कारण, विशेष परिस्थिति में मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सूचना को संक्षेप में और जो शून्यकाल की व्यवस्था है उसी के तहत पढ़ें ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, बिना किसी पूर्व सूचना के 50 साल से दरभंगा के रजवाड़ा गाँव में बसे दलितों पर बर्बर दमन अभियान चलाकर उनकी झोपड़ियाँ तोड़ दी गयीं और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले पप्पू खान सहित कई पर मुकदमा थोप दिया गया । दलितों को फिर से बसाने और मुकदमे की वापसी करने की मांग करता हूं ।

महोदय, यह काफी गंभीर मामला है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पुराने सदस्य हैं । मैंने कहा कि शून्यकाल की सूचना पढ़ दी जाती है इस पर बहस नहीं करायी जाती है । इसलिए कृपया...

श्री सत्यदेव राम : महोदय, सौ घर विस्थापित हैं, सरकार को निर्देश दिया जाय कि इन सौ घरों को बनवा दिया जाय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके भाव को पूरा सदन समझ गया है । सरकार सबकुछ सुन रही है, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

माननीय सदस्य श्री मुरारी मोहन झा ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री ललन कुमार ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री रामविलास कामत ।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, सुपौल जिलांतर्गत किशनपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत दुनियाही के ग्राम दीघिया एवं बेलागोट में कोसी नदी से हो रहे कटाव से बचाव के लिए कटाव निरोधी कार्य करने के लिए सरकार से माँग करता हूँ ।

श्री संजय कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, शिवहर जिलांतर्गत तरियानी छपरा थाना के दो गाँव सीतामढ़ी जिला सौली-रुपौली को तरियानी छपरा थाना में रखा गया सीतामढ़ी जिलांतर्गत बेलसंड थाना में शिवहर जिला के गाँव खोटा-खुरपट्टी बेलसंड थाना में रखा गया है ।

मैं मांग करता हूँ कि बेलसंड थाना में सौली-रूपौली को जोड़ा जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुंदन कुमार ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री प्रफुल्ल कुमार माँझी ।

श्री प्रफुल्ल कुमार माँझी : अध्यक्ष महोदय, लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत संगम टॉकिज के सामने से रिभर फ्रंट (River Front) लाली पहाड़ी तक बनाने की माँग करता हूँ ।

श्री विनय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला के गुरूआ प्रखंड अंतर्गत गुनेरी पंचायत के ग्राम केन्दुआ में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन ध्वस्त होने के कारण सामुदायिक भवन में पठन-पाठन कार्य चल रहा है ।

अत: मैं सरकार से नया प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण करवाने की माँग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश यादव ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अंजार नईमी ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलांतर्गत नेहरू कॉलेज 1965 से संचालित है, जहाँ विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की पढ़ाई नहीं होती । छात्रों को इन संकायों की पढ़ाई के लिए 30-45 किलोमीटर जाना पड़ता है । निर्धन परिवार वंचित रह जाते हैं ।

शिक्षा विभाग से उक्त दोनों संकायों की पढ़ाई चालू कराने की माँग करता हूँ ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, राज्य के मिट्टी जाँच लैब में कार्यरत नवनियुक्त ए0डी0सी0 को निर्धारित मानदेय का भुगतान संयुक्त निदेशक, रसायन द्वारा नहीं किया जा रहा है । साल में 12 महीने के बदले इन्हें भुगतान 9-10 महीने का ही दिया जाता है ।

अत: निर्धारित दर से भुगतान करने की माँग करती हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार यादव ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला में यूरिया खाद की बृहद पैमाने पर कलाबाजारी हो रही है । किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसान परेशान हैं ।

जनहित में किसानों को खाद उपलब्ध कराने एवं कालाबाजारी को रोकने हेतु सरकार से उच्चस्तरीय जाँच कराने की माँग करता हूँ ।

श्री राम विशुन सिंह : महोदय, भोजपुर जिलांतर्गत जनहित में आरा–मोहनियां एन0एच0–319 के हरिगाँव एवं बिहियां–पीरो एस0एच0–102 पथ के जितौरा के पास ओ0पी0 थाना का निर्माण कराने की माँग सरकार से करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, भोजपुर जिलांतर्गत प्रखंड गड़हनी के उर्दू प्राथमिक विद्यालय, बडौरा, मध्य विद्यालय मंदुरा और प्रखंड अगिआंव के प्राथमिक विद्यालय मेहंदौरा, अनु0 जाति प्राथमिक विद्यालय, डेढुआ, मिश्रवलिया, बरूना एवं प्रखंड चरपोखरी के प्राथमिक विद्यालय कौवाखोत के वर्ग भवन निर्माण की माँग करता हूँ ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, दरभंगा जिला के सेनीपुर प्रखंड के माधोपुर अटहर पथ में सोझी घाट पर पुल का निर्माण करया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, भोजपुर जिला के सहार प्रखंड में सहार थाना से अवगीला गाँव से सहार प्रखंड मुख्यालय जाने का सड़क गड्ढ़े में तब्दील हो चुकी है । जनहित में उक्त सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति देकर तत्काल निर्माण कार्य पूरा कराने की माँग करता हूँ ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला सहित उत्तर बिहार के जिलों में यूरिया को लेकर किसानों के बीच हा-हाकार मचा हुआ है । दुगुना दाम पर भी किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है । जल्द से जल्द सही दामों पर किसानों को जरूरत के अनुसार यूरिया उपलब्ध कराने की माँग करता हूँ ।

टर्न-9/हेमन्त/15.12.2022

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, हांसाडीह (मसौढ़ी), पटना में विगत 9 दिसम्बर को शराबबंदी के नाम पर मुसहर, डोम, पासी व पिछड़ी जातियों के लोगों पर बर्बर पुलिस दमन ढ़हाया गया, महिलाओं को निर्वस्त्र करके पीटा गया, सोनवा देवी की 14 दिसम्बर को मौत हो गयी । घटना की जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिलान्तर्गत पहसारा-पधरस पथ नावकोठी प्रखण्ड को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला मुख्य पथ है उक्त पथ के दोहरीकरण और पी0डब्लू0डी0 में शामिल करने की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री केदार प्रसाद गुप्ता ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री पवन कुमार यादव ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री सुदामा प्रसाद, महबूब आलम एवं पांच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद की सूचना पढ़ी गयी है । माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर, रोहतास सहित पूरे राज्य में उसना चावल मिलों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए जिलावार उसना चावल तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । पूर्व वर्ष में लगभग 33 प्रतिशत उसना चावल तैयार किया गया था जिसे लक्षित जन वितरण प्रणाली के लाभुकों की पसंद और मांग के आलोक में इस वर्ष बढ़ाकर 77 प्रतिशत किया गया है । पूर्व वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान अधिप्राप्ति व्यवस्थित रूप से हो रही है । दिनांक- 13.12.2022 तक राज्य में 4,48,608 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है जबकि पिछले साल दिनांक- 13.12.2021 तक 3,79,986 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी । उसना चावल की मात्रा जिलों की सत्यापित मिलिंग क्षमता पर आधारित है । 17 प्रतिशत नमी मापदंड को लागू करना भी एक अनिवार्यता है । न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त भुगतान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । आवश्यकतानुसार अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि परिवर्तित करने पर राज्य सरकार विचार करेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद ।

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आधार क्या है ? बिहार के 19 जिलों को सिर्फ और सिर्फ उसना चावल देने का पैक्सों को निर्देश देने का आधार क्या है, पहला प्रश्न मेरा यह है कि किस आधार पर 19 जिलों को सिर्फ उसना चावल देने का निर्देश दिया गया, दूसरा कि जिन समस्याओं का हमने जिक्र किया कि धान अधिप्राप्ति बिल्कुल बंद है इसलिए कि उसना मिलों की संख्या 160 है पूरे बिहार में और अरवा मिल 4500 हैं, तो क्या सरकार अपने इस फैसले को वापस लेगी ? उसना चावल देने की जो बाध्यता है पैक्सों को, उसको वापस लेगी ताकि किसानों से धान की खरीद हो सके ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, धान की अधिप्राप्ति के विषय में लगता है माननीय सदस्य ने अच्छे से सुना नहीं । इनका कहना है कि अधिप्राप्ति बाधित हो रही है जबकि हमने कहा कि दिनांक- 13.12.2022 तक 4,48,600 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति हो चुकी है । पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हम लोग धान की अधिप्राप्ति ज्यादा कर पाये हैं । इसलिए धान अधिप्राप्ति में इस तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है । जहां तक अरवा मिलों को टैग करने की बात है, तो लोगों की मांग पर बिहार में अधिकतर लोग 4 जिलों को छोड़कर अधिक संख्या में उसना चावल पसंद करते हैं और उनकी डिमांड पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि पिछले वर्ष हम लोग 33 प्रतिशत कर पाये थे और इस वर्ष हम लोग मिलों से उसना चावल 77 प्रतिशत कर पायेंगे । तो अभी उसना चावल के जितने मिल हैं, उन्हें 77 प्रतिशत का लक्ष्य दिया गया है । इसके बाद जितने शेष बच रहे हैं उनसे अरवा चावल लिया जायेगा तभी तो उतनी क्षमता के मिल हैं उसना चावल के और जहां तक बात है अधिप्राप्ति की, तो उसमें कोई अड़चन नहीं है, सभी जगह अधिप्राप्ति हो रही है । जिलेवार हमारे पास आंकड़ा है, यदि माननीय सदस्य कहेंगे तो हम भिजवा देंगे ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जो मेरा मूल प्रश्न है कि उसका आधार क्या है ? अब जैसे हमारे शाहबाद के चारों जिलों में लोग अरवा चावल खाते हैं । भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर वहां चारों जिलों को उसना मिल में डाल दिया गया है और हमारे जिले में तो मात्र 7 उसना चावल मिल हैं, 7 अरवा चावल के मिल हैं । तो मुझे लगता है कि इस मूल प्रश्न का जवाब सरकार को देना चाहिए । इसका आधार क्या है ? आधार हम लोग जानना चाहते हैं । हमारे यहां तो चारों जिलों में लोग अरवा खाते हैं, तो उसना क्यों किया गया ?

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि चार जिलों में सबसे अधिक धान की खेती होती है । इसलिए वहां से दूसरे जिले में भी चावल तैयार करके भेजा जाता है । उतनी तो वहां खपत होती नहीं है । इसलिए वहां भी उसना चावल तैयार किया जाता है ताकि दूसरे जिलों में भेजा जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार के द्वारा आपके प्रश्न का बहुत ही स्पष्ट जवाब दिया गया है । ये पूर्व के निर्णय हैं, उसके मुताबिक ही उसना चावल की मांग ज्यादा है । इसलिए पूर्व में उच्चस्तर से इस तरह का निर्णय लिया गया । मंत्री जी का कहना है कि उसना के बाद भी जो अरवा चावल की आवश्यकता होगी उसको भी सरकार अपने स्तर से अरवा चावल के जो मिल होंगे उनमें भी खरीददारी करके चालू कराने का काम करेगी, परंतु जो 70 प्रतिशत पूर्व के निर्णय हैं, उन निर्णयों का सही तरीके से कार्यान्वयन हो रहा है और जो 38 जिले हैं उसमें मात्र चार में ही ज्यादा धान की उपज भी होती है और हो सकता है कि वहां लोग अरवा चावल चाहते होंगे, लेकिन अन्य जिलों में जो वहां से धान खरीदकर दूसरी जगह जाता होगा और उसना चावल की मांग है, तो मांग के आधार पर ही ये मिल स्थापित हुए हैं, तो आगे की भी कार्रवाई, जो शेष बचे रहेंगे उसकी दिशा में करने के लिए माननीय मंत्री महोदया ने अपने जवाब से आपको संतुष्ट किया है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा, अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री विजय मंडल : अध्यक्ष महोदय,....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य विजय मंडल जी, प्रश्न भी दो-दो उन्होंने किये, दोनों के जवाब माननीय मंत्री जी के द्वारा माकूल दिये गये और मैंने भी आपकी और सदन की भावना को समझते हुए अपनी जो सोच, समझदारी थी उसको भी आसन से व्यक्त किया है और मैंने अब ध्यानाकर्षण पढ़ने के लिए शालिनी मिश्रा जी को पुकार दिया है । इसलिए अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

माननीय सदस्या श्रीमती शालिनी मिश्रा ।

टर्न-10/धिरेन्द्र/15.12.2022

श्रीमती शालिनी मिश्रा, श्रीमती प्रतिमा कुमारी एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से

वक्तव्य ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ''राज्य के असर्वेक्षित/टोपोलैण्ड भूमि से संबंधित दिनांक-03.06.2016 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला की कार्यवाही की कंडिका 2(घ) एवं 3(ख) के तहत विभागीय पत्रांक-3113, दिनांक-20.07.2017 द्वारा राज्य के असर्वेक्षित/टोपोलैण्ड से संबंधित दस्तावेजों के निबंधन पर रोक लगाने हेतु निबंधन विभाग को निर्देश जारी किया गया था ।

सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक-IV-एम1-35/2016-4087, दिनांक-16.08.2022 द्वारा विभागीय पत्रांक-3113, दिनांक-20.07.2017 को निरस्त कर दिया गया । निर्देश के आलोक में राज्य में असर्वेक्षित/टोपोलैण्ड का निबंधन प्रारंभ हो गया परन्तु असर्वेक्षित/टोपोलैण्ड की निबंधित भूमि का राज्य के किसी भी अंचल में दाखिल खारिज नहीं किया जा रहा है, रेन्ट रशीद नहीं काटे जा रहे हैं, एल०पी०सी० निर्गत नहीं किया जा रहा है ।

अतः असर्वेक्षित/टोपोलैण्ड की निबंधित भूमि का दाखिल खारिज करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, असर्वेक्षित भूमि के स्वामित्व और अधिकार के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया है । विधि विभाग के द्वारा अपने परामर्श में न्यायालय के एक विनियमन का उल्लेख किया गया है जो Privy Council in the matter of Tarak Das, Aacharyaji Chowdhary Vs Secretary of State reported in AIR-1935, PC-125 से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित आदेश अंकित किये गए हैं: It is beyond question that bed of a public navigable river and river Ganges undoubtebly belongs to the category is presume to be the property of Government and not that of a private person.

विद्वान अधिवक्ता, बिहार सरकार के द्वारा अपनी राय में स्पष्ट अंकित किया गया है कि असर्वेक्षित भूमि यानी कि टोपोलैण्ड सरकारी भूमि है । इस प्रकार की भूमि को सरकार के दखल एवं स्वामित्व में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए । असर्वेक्षित भूमि/टोपोलैण्ड का न तो कडेस्ट्रल सर्वे और न ही रिवीजनल सर्वे हुआ था । ऐसी स्थिति

में असर्वेक्षित भूमि/टोपोलैण्ड का खतियान एवं नक्शा नहीं बना है । साथ ही, इस प्रकार की भूमि का खाता, खेसरा, रकवा आदि विवरणी स्वामित्व निर्धारण एवं लगान निर्धारण का भी अभाव है । ऐसे में दाखिल खारिज किया जाना राजस्व विभागीय प्रावधानों में बिल्कुल संभव नहीं है, के अंतर्गत नहीं है । असर्वेक्षित भूमि/टोपोलैण्ड पर नीति निर्धारण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन विभागीय ज्ञापांक-1597/06-रा०, दिनांक-29.09.2022 द्वारा किया गया है । असर्वेक्षित भूमि/टोपोलैण्ड के भू-सर्वेक्षण का कार्य संपादित किये जाने हेतु विभागीय दिशा-निर्देश निर्धारित किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत असर्वेक्षित भूमि/टोपोलैण्ड के सर्वेक्षण का कार्य भी वर्ष 2024 तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या शालिनी मिश्रा जी, बिल्कुल स्पष्ट जवाब माननीय राजस्व मंत्री जी के द्वारा दिया गया है, कार्रवाई प्रारंभ है । इसलिए आप स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक-दो पूरक है जो इसी से रिलेटेड है । मैं आपसे संरक्षण चाहती हूँ । यह सही है कि वर्ष 2024 तक माननीय मंत्री जी ने कहा कि सर्वेक्षण हो जायेगा । मेरा यही कहना है कि प्रत्येक जिले में बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, पूरी सर्वे टीम है, सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है लेकिन सिर्फ टोपोलैण्ड/अनसर्वे लैण्ड के सर्वेक्षण को रोका गया है तो सरकार इसका कब तक निर्देश देगी । वर्ष 2024 तक माननीय मंत्री जी ने कहा है लेकिन एक निर्देश देकर जो नियमावली है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 के अंतर्गत असर्वेक्षित/टोपोलैण्ड की भूमि के सर्वे को शामिल नहीं किया गया है तो मैं माननीय मंत्री जी से, सरकार से पूछना चाहती हूँ कि इस नियमावली, 2012 को संशोधित कर टोपोलैण्ड का सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है । यह मैं सरकार से जानना चाहती हूँ ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, असर्वेक्षित भूमि/टोपोलैण्ड के भू-सर्वेक्षण का कार्य संपादित किये जाने हेतु विभागीय दिशा-निर्देश निर्धारित किये जाने की कार्रवाई उच्चस्तरीय समिति के द्वारा प्रक्रियाधीन है । अतः जल्द-से-जल्द इस कार्रवाई की गाइडलाईन तैयार कर के फिर सर्वे में उसको शामिल किया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा, अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और प्रश्न है ।

अध्यक्ष : मैंने अगले माननीय सदस्य का नाम पुकार दिया है । इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से, कार्य ऑन-गोइंग है इसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने बता दिया ।

सर्वश्री अमरजीत कुशवाहा, सत्यदेव राम एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (खान एवं भू-तत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, ''राज्य सरकार के कड़े खनिज नियमावली, 2019 लाईसेंसिंग नियमों ने स्थानीय बालू-गिट्टी व्यवसाइयों एवं निर्माण उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को बूरी तरह प्रभावित किया है । निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले कम पढ़े-लिखे छोटे दुकानदार हैं, उनके पास लाईसेंस की शर्तों के अनुसार काम करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं है । उनके यहाँ काम करने वाले हजारों दहाड़ी मजदूर काम बन्द होने से भूखे मरने को मजबूर हो रहे हैं । यह सिस्टम इतना जटिल है कि जो व्यापारी लाईसेंस लिये हैं, वे 3-4 माह से कोई अपने पोर्टल से बालू-गिट्टी खरीद-बिक्री नहीं कर पा रहे हैं । भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 (1)(G) के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को मूल व्यापार तथा व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है जिसका राज्य सरकार के लाईसेंसिंग नियम-56 बिहार खनिज नियमावली, 2019 के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है एवं नियम-77 के अनुसार राज्य सरकार को यह अधिकार है कि जनहित में नियमों में बदलाव कर सके ।

अतः छोटे व्यापारियों एवं असंगठित गरीब मजदूरों के हित में आवश्यक संशोधन कर खुदरा भवन निर्माण सामग्री विक्रेताओं की लाईसेंस की अनिवार्यता समाप्त करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग ।

डॉ॰ रामानन्द यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के खनन नियमावली, 2019 में स्थानीय बालू-गिट्टी व्यवसाइयों, निर्माण उद्योग के काम करने वाले मजदूरों को किसी भी तरह से

प्रभावित नहीं किया गया है । राज्य सरकार के प्रयासों से विगत कुछ वर्षों में बालू–गिट्टी के व्यापार को सरल, पारदर्शी एवं रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु खनिज नियमावली, 2019 के प्रावधान के तहत सात विभागीय मार्गदर्शिका निर्गत है । कार्यों में पारदर्शिता, समय बाध्यता को बढ़ावा देने, अनुज्ञप्ति देने, चालान निर्गत करने एवं पैसा जमा करने हेतु किसी भी कार्यालय के चक्कर न लगाने का उद्देश्य पूरी प्रणाली को वर्ष 2021 में कंप्यूटरीकृत कर ऑनलाईन कर दिया गया है। हर व्यक्ति जो विभाग से विज्ञप्ति लेना चाहे तो वह आवेदन अनुज्ञप्ति ऑनलाईन ही प्राप्त करता है, जिससे पूर्व की शिकायतों पर विराम लगा है । मार्गदर्शिका के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा नदी तट से पांच किलोमीटर के बाहर भण्डारण अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के उपरांत 10 दिन के अंदर संबंधित जिला खनन पदाधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाता है । इसी नये प्रणाली के फलस्वरूप बालू–गिट्टी की अनुज्ञप्ति धारा वर्ष 2020 में मात्र 110 थी, अब बढ़कर 779 हो गई है । इससे स्पष्ट है कि बालू–गिट्टी के व्यवसाय के क्षेत्र में मजदूरों के लिए रोजगार का सृजन हुआ है । साथ ही, निलामी के ऑनलाईन होने की वजह से एक तरफ राजस्व की बढ़ोतरी हुई है तो दूसरी तरफ नये छोटे एवं मंझौल व्यवसाय को बढ़ावा मिला है । पहले जो मजदूरी करते थे अब वे स्वयं व्यापार भी कर रहे हैं । साथ ही, बालू–गिट्टी के अवैध व्यापार पर कड़ा अंकुश भी लगाया गया है । बिहार खनिज (समानुदान, खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–56 में बालू एवं पत्थर के व्यापार में व्यवसाय से संबंधित नहीं है, यह नियम खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण हेतु दंड के प्रावधान से संबंधित है ।

(क्रमशः)

टर्न–11/सुरज/15.12.2022

(क्रमशः)

डॉ0 रामानन्द यादव, मंत्री : खनन नियमावली, 2019 के नियम–39 के तहत वैध व्यवसाय को सुनिश्चत करने हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत की जाती है । अनुज्ञप्ति का प्रावधान नहीं रहने से अवैध खनन एवं अवैध भंडारण को बढ़ावा मिलता है । साथ ही राजस्व संग्रहण में हानि

होगी । इसी कारण नियम–77 के तहत आच्छादित करने का सरकार विचार नहीं रखती है। पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुसार मानसून अवधि जुलाई, अगस्त एवं सितंबर माह में बालू खनन पर प्रतिबंध रहता है । इस अवधि में भंडारण अनुज्ञप्ति से बालू की आपूर्ति की जाती है । वर्ष 2022 में विभिन्न जिलों में विभाग की अनुज्ञप्ति से प्राप्त 779 भंडारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 34 करोड़ 16 लाख 79 हजार 98 घन फीट एवं 9 करोड़ 26 लाख 99 हजार 838 घन फीट का प्रथम व्यवसाय किया गया । इससे स्पष्ट होता है कि विभागीय पोर्टल में किसी प्रकार की टेक्निकल त्रुटि नहीं है ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो बात रख रहे हैं वह नियमावली में जो बात कही गयी है उसी बात को रख रहे हैं लेकिन व्यावहारिक जो दिक्कतें आयी हैं जो खुदरा बिक्रेता लोग हैं, हर एक जिला में कम–से–कम पांच सौ से एक हजार की संख्या में विभिन्न चौक–चौराहों से लेकर शहरी क्षेत्रों में अपना सीमेंट, बालू, गिट्टी और तमाम तरह के व्यवसाय करते हैं, वे कहीं से भी कोई ऐसा भंडारण नहीं करते हैं, जिस भंडारण से बहुत बड़ा माल इकट्ठा हो बल्कि एक तरह से कहा जाय तो खनन का जो टेंडर होता है वह ठीकेदार से जहां पर भंडारण किया जाता है उस भंडारण से चलान के साथ लीगल तरीके से अपना माल उठा करके जब वह जाता है तब वे खरीदते हैं और पूरी तौर पर सीमेंट और छड़ का जी0एस0टी0 भी है और दुकान का भी उन्हें लाइसेंस प्राप्त होता है तो बिना लाइसेंस के कोई दुकानदारी नहीं करते हैं लेकिन वहां दुकान के आगे जो गिट्टी, बालू रख करके वह बेचते हैं । हमारे यहां एक ऐसे दुकानदार पर 46 हजार का फाइन लगाया गया, जो सिर्फ एक ट्रैक्टर यानी 100 फीट गिट्टी और बालू रख करके, अपने हाथ से नाप करके लोगों को बेचता है और जहां कहीं भी फाइन किया जा रहा है 25 गुणा फाइन किया जा रहा है । मेरा इसमें कहना है कि इस तरीके से अगर किया जायेगा तो बड़े पैमाने पर सारी दुकानदारी जब बंद होगी तो निचले स्तर पर मजदूरों के लिये भारी संकट पैदा होगा, उनके भोजन का संकट पैदा हो जायेगा । इसलिये इसमें जो मैंने कहा है नियम–56 के तहत संशोधन करने का भी प्रावधान है और बिहार सरकार इस नियमावली में थोड़ी ढील करे ताकि जो फुटकर विक्रेता हैं, मैं थोक विक्रेता और भंडारण करने वालों की बात नहीं कह रहा हूं, उनको राहत मिल सके और व्यवसायों को चलाया जा सके ।

ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है । महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब ये लोग दुकान से खरीद करके लाते हैं तो वहां ऑलरेडी टैक्स देना पड़ता है । उस टैक्स के बाद भी अगर टैक्स लेना है तो उनलोगों को जी0एस0टी0 से जोड़ करके सीधे तौर पर टैक्स लिया जाय । लेकिन लाइसेंस लेने का जो शर्त लगाया गया है कि रोड से कम-से-कम डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर ही गिट्टी, बालू रख सकते हैं । एक-दो दुकानदार को छोड़ दीजिये तो कोई भी दुकानदार इस शर्त को पूरा नहीं कर सकता है और वैसे में उसकी अनुज्ञप्ति नहीं मिल सकती है तो दुकानदारी बंद हो जायेगी । महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी और सरकार से यही आग्रह होगा कि सरकार इस पर विचार करे और विचार करके इस व्यवसाय को चलाने में सहयोग करे ।

डॉ0 रामानन्द यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां भंडारण में मजदूर बालू नदी से उठाकर लाकर रखते हैं और इस भंडारण से जहां भी जो व्यक्ति खरीद करके घर-मकान बानने के लिये ले जाते हैं, वहां भी मजदूर जा सकता है तो मजदूर कहीं बाधित नहीं हुआ, वह अपना काम कर ही रहा है । लेकिन हर गांव में बालू, गिट्टी की दुकान खोल दें तो अवैध बिक्री बढ़ जायेगी । इसी कारण सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध मे एक पुस्तक भी है खनिज मैनुअल की जिसमें पारा 91 में 77वां प्वाइंट जो दिया गया है, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि इस नियमावली के किसी उपबंध में परिवर्तन को शिथिल करने का राज्य सरकार को अधिकार है । महोदय, मैं तो आग्रह ही कर रहा हूं बड़े पैमाने पर छूट देने की बात नहीं जो पहले से हैं खुद लाइसेंस ले करके गिट्टी, सीमेंट, बालू और छड़ का व्यवसाय करते हैं उन्हीं के लिये कह रहा हूं कि लाइसेंस की अनुबंधता समाप्त किया जाय । मेरा इससे आगे कुछ मांग नहीं है और मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिये कहीं से भी टैक्स नहीं देना चाहती है यह बात नहीं है । जी0एस0टी0 से जुड़कर पूरी तरह से टैक्स देने के लिये व्यवसायी लोग तैयार हैं और इस सवाल को लेकर बड़े पैमाने पर सीवान में लगभग पांच सौ से एक हजार लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, लगातार लोग मांग उठा रहे हैं । इसलिये महोदय, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है, आप भी वहां से जुड़े हुये हैं, लगातार देख रहे हैं । उन बिंदुओं पर सरकार जरूर विचार करे, संज्ञान में ले ।

डॉ0 रामानन्द यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जितने भी लोग बालू का भंडारण लेते हैं उससे तो हर जगह बिक्री होती ही है । भंडारण के संचालन में जो लोग गड़बड़ी करते हैं उस पर हम कार्रवाई भी करते हैं । बाधित इनका न लेबर होगा, न व्यवसायी, न घर बनाने वाले और न बालू बेचने वाले ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अमरजीत कुशवाहा जी आपने विस्तृत तरीके से अपनी बातों को सदन में और सरकार के सामने रखने का काम किया और सारे नियमों के हवाले से सूचना माननीय मंत्री जी ने आपको दिया और आपके द्वारा जो-जो सूचनाएं दी गयी, जिस समस्या पर आप सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे । सरकार के सामने आपने अपनी बात को रख दिया है और सरकार ने भी सक्षम तरीके से आपके ध्यानाकर्षण का जवाब दिया है इसलिये समस्या रखना, जिस सोच के साथ आप समस्या लाये हैं सरकार भी गंभीरता से उस पर अपना निर्णय ले करके आपको सूचना देने का काम की है । सूचना सरकार के सामने है, जितना कहना था आपने रख दिया, कह दिया ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं कहना चाहता हूं । लाइसेंस लेने के लिये दुकानदार गये हैं, कुछ दुकानदारों को लाइसेंस भी प्राप्त हुआ है । तीन महीने से लगातार वे प्रयासरत भी हैं कि कैसे हम इस तरीके से अपने व्यवसाय को चलाये । लेकिन उसमें वहां के खनन पदाधिकारी द्वारा तय किया जाता है कि इसी दुकान से आपको माल लेना है और वहां वे जाते हैं तो माल नहीं मिलता है । उनका एक-एक महीने तक दुकान बंद हो जाता है, पोर्टल नहीं खुलता है, लगातार व्यवहारिक समस्याएं हैं और दूसरी बात कि छोटे-छोटे दुकान जब वे चलाते हैं तो उनको एक ऑपरेटर रख करके पूरे सिस्टम को मेंटेन करने के लिये अलग से एक आदमी को लगाना पड़ेगा, उसे तनख्वाह देना पड़ेगा । इन सारी चीजों का भार आम जनता पर ही जाता है । दूसरी बात हमारी जो रिपोर्ट है कि 10 परसेंट गिट्टी की ही सप्लाई बिहार से हो पाता है और हमलोगों के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से ही गिट्टी ज्यादा आता है । तो वहां पर यह सिस्टम लागू ही नहीं हो पाता है, पार्टल वाला मामला ही नहीं बनता । तो 90 परसेंट गिट्टी का उठाव जो उत्तर प्रदेश से लोग करते हैं या दूसरे राज्यों से लाते हैं उनके लिये और संकट है और व्यवसाय में भारी मुश्किल पैदा हो रहा है । इसलिये महोदय, हम कहेंगे कि मंत्री जी अगर समय देंगे तो

बैठकर हमलोग उस पर विस्तृत बात करेंगे और बात करके एक सही निर्णय के विषय में जाने के लिये आपसे आग्रह है ।

अध्यक्ष : अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर समस्या है । बालू, गिट्टी का सवाल है जी0एस0टी0, टैक्स हर जगह वे देते हैं फिर भी दुकानदार से टैक्स लेने की अगर जरूरत महसूस होती है तो उसका कोई सरल और सहज प्रोसेस अपनाया जाय और निश्चित रूप से सीमांचल के क्षेत्र का जो बालू है, वो बंगाल से आता है, झारखंड से आता है और ऐसे हालत में तो कारोबार भी ठप हो जायेगा, रोजगार भी ठप हो जायेगा और निर्माण कार्य पर भारी असर पड़ रहा है । इसलिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों से आग्रह करता हूं कि इसको सरल और सहज बनाया जाय, जिससे कि जो रोजी-रोटी और रोजगार से जुड़े हुये हैं उनकी रोजी-रोटी आसानी से चले ।

टर्न-12/राहुल/15.12.2022

डॉ0 रामानंद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य मेरे ऑफिस में आ जायें और अपना सुझाव दें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मंत्री से संपर्क बना लीजियेगा, उनके कार्यालय में जाइये, नियमानुसार जो उचित होगा, नियम कानून के तहत अगर कोई कठिनाई हो रही है तो मंत्री जी उसका समुचित समाधान निकालने की कोशिश करेंगे ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, इससे एक तरफ पूरे बिहार के व्यवसायियों में आतंक मचा हुआ है तो दूसरी तरफ मजदूरों के सामने भूखमरी की समस्या आ रही है और काम बिल्कुल बाधित है...

अध्यक्ष : आप जो कहना चाहते हैं माननीय सत्यदेव राम जी वह श्री अमरजीत कुशवाहा जी ने, महबूब साहब ने कह दिया और सरकार के द्वारा भी स्पष्ट कहा गया है एक बार हमारे कार्यालय में आ जाइये, आप बतायेंगे हम सुनेंगे और नियमानुसार जो उचित होगा वह हम करेंगे ।

श्री सत्यदेव राम : मंत्री जी के पास सारे नियम हैं...

अध्यक्ष : माननीय सत्यदेव राम जी आप वरीय सदस्य हैं । आसन की तरफ भी देखिये और आज आप कहां हैं उसको भी सोचिये । उस संदर्भ में ही आप, हमें और तमाम लोगों को काम करना चाहिए ।

सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ।

श्री हरिनारायण सिंह (सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड से संबंधित समिति के 214वें प्रतिवेदन की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति ।

श्री जीतन राम मांझी (सभापति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना से संबंधित समिति के 36वें प्रतिवेदन की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–13/मुकुल/15.12.2022

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिए जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

अधिकाई व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''वित्तीय वर्ष 1989–90 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ–2 पर अंकित मांग संख्या–27 ''परिवार कल्याण'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1989–90 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 34,46,983/– (चौंतीस लाख छियालीस हजार नौ सौ तिरासी) रुपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

महोदय, यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सारे माननीय सदस्य वेल में आ गये ।)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''वित्तीय वर्ष 1989–90 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ–2 पर अंकित मांग संख्या–27 ''परिवार कल्याण'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1989–90 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 34,46,983/– (चौंतीस लाख छियालीस हजार नौ सौ तिरासी) रुपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय) विधेयक

बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) विधेयक, 2022

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

(व्यवधान जारी)

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) विधेयक, 2022 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक के अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

महोदय, मैं इसलिए प्रस्ताव करता हूं कि आसन अवगत है, सदन भी अवगत है कि इसी 14 तारीख को हमने अधिकाई व्यय विवरण से संबंधित प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा था । आज उसी के संबंध में हम विधेयक लाये हैं । आप जानते हैं कि जब हम बजट प्रस्तुत करते हैं तो मूल रूप से वह अनुमानित खर्च और आय का हिसाब होता है, लेकिन जब हम पूरे साल उसके हिसाब से चलते हैं तो कभी-कभी किसी विभाग के किसी हेड में कुछ ज्यादा खर्च हो जाता है जो अनुमान से अधिक हो जाता है तो उसी को विनियमित करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद-205 की उप कंडिका-1 (ख) में किया गया है, उसी के तहत हम आये हैं । जैसाकि नाम से ही स्पष्ट है कि यह वित्तीय वर्ष 1989-90 का स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामला है और उसमें भी वेतन मद का है, जो उस समय कोई कर्मचारी रखे गये थे जिनका प्रावधान मूल बजट में नहीं किया गया था, जिनके वेतन भुगतान करने में कुछ अधिक व्यय हो गया था तो उस पर जब ए0जी0 ने जांच की और उसके संबंध में उसको रेखांकित किया कि यह बजट से अधिक खर्च है । विधान सभा की लोक लेखा समिति ने उसकी जांच की है और जांच में उस खर्च को सही पाया है और उसको विनियमित करने की अनुशंसा की है तो लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आधार पर ही हमने सरकार की तरफ से इसी 14 तारीख को यह प्रस्ताव रखा था, यह सही खर्च है । इसलिए हम सदन से आग्रह करते हैं कि सर्वसम्मति से इस विधेयक को स्वीकृत करने की कृपा करे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) विधेयक, 2022 स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान जारी)

<u>बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

(व्यवधान जारी)

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

टर्न–14/यानपति/15.12.2022

श्री अखतरूल ईमानः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक, 2022 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।''

महोदय, यह जो परंतुक लगाकर इसमें संशोधन की गुंजाइश की गई है बिहार तकनीकी सेवा आयोग में, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने इसमें रिक्वेस्ट किया था और उसीपर कहा यह गया है कि इसके जरिये से विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगी । मैं यह समझता हूं कि मेरे पास जो मूल प्रति है विधेयक की उसमें यह कहा गया है कि धारा–8 में कि ऐसी सेवाएं जिसका पे ग्रेड 4800 से कम हो और उसी पर वह करेंगे इसके माने कि इसमें जो सूची संलग्न है वह तमाम नन–गजटेड ऑफिसर का है और अब यह जो बहाली करने के लिए जा रहे हैं यह गजटेड रैंक के ऑफिसर की बहाली करेंगे तो मैं समझता हूं कि मूल धारा में सुधार किए बगैर परंतुक लगाकर इनकी बहाली का औचित्य क्या है ? दूसरा मामला यह है कि अभी ये संशोधन ला रहे हैं लेकिन 2018 और 2020 में इन्होंने गजटेड रैंक के ऑफिसर्स को बहाल किया है और इन्होंने जिनका पे ग्रेड 5400 है और 6600 है उनकी बहाली की है तो संशोधन से पहले इसने बहाली किस तरह से कर दी है यह एक गंभीर मसला है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इसपर पहले धारा 8 के मूल पर संशोधन हो उसके बाद इसका मामला आगे बढ़े । एक मामला महोदय और भी है चूंकि मैंने इसके सिद्धांत पर बहस की बात की है वह यह है कि धारा 3 में जो आयोग के चेयरमैन होंगे या अन्य मेंबर होंगे उन मेंबरों की नियुक्ति के लिए 3 साल से कम के जो आई0ए0एस0 रैंक के ऑफिसर हैं उनका होगा या उसी रैंक के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनका होगा । बिहार में इस वक्त वैसे भी नौकरी का अभाव है कि हम यह सरकारी नौकरी में रहते हुए जब किसी नए को जिम्मेदार बनाया जाता है तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तौर पर करता है लेकिन अगर रिटायर लोगों को आप लाकर देंगे तो उसमें कहीं न कहीं से उसकी निष्पक्षता पर उंगली उठने का मौका होगा जो

इंपार्शियल नहीं होगा इसलिए मैं चाहता हूं कि इनपर बहस हो और उसमें सुधार किया जाय ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूं । खंड-2 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

प्रभारी मंत्री ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

महोदय, बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम 2014 के तहत बिहार तकनीकी सेवा आयोग का गठन किया गया । उक्त अधिनियम की धारा 8 में निम्नवत प्रावधान हैं । सेवाएं, संवर्ग एवं पद जिनके लिए नियुक्ति हेतु आयोग अनुशंसा कर सकेगा। आयोग इस अधिनियम की...

(व्यवधान जारी)

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह ख एवं ग के सभी तकनीकी सेवा संवर्गों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा । सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूची को समय पर अधिसूचना द्वारा संशोधत किया जा सकेगा । स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम 2014 की धारा 8 में...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: अपने दल को नियंत्रण में रखिए ।

(व्यवधान जारी)

आप वेल में न रहें, अपनी सीट पर आ जायं ।

(व्यवधान जारी)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: दिनांक- 06.02.2019 द्वारा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग एवं बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: आप कृपया स्थान ग्रहण करें । आप नेता प्रतिपक्ष की बात को भी नहीं मान रहे हैं क्या ?

(व्यवधान जारी)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: इस संदर्भ में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना से बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अधिनियम में समूह क पर जोड़े जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ, ऐसी स्थिति में बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम 2014 की धारा 8 में एक परंतुक निम्नवत जोड़ा जाना अपेक्षित है परंतु आयोग स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग व शिक्षा सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ शिक्षा पदाधिकारियों को सभी पद पर नियुक्ति, चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा । अत: महोदय मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पारित करने की कृपा की जाय ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हुआ ।

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022''

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री: मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्षः यह पुरःस्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्रीः मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

अध्यक्षः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 122 (1) के तहत माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतः सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमानः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।''

महोदय, सरकार की इस विधेयक को लाने की मंशा राज्य के अंदर के नगर क्षेत्रों को दुरुस्त करना है, अतिक्रमण को हटाना है, लोगों को सुविधाएं देनी है । बच्चे स्कूल जा सकें, हमारी जो एंबुलेंस है वह सही तरह से हॉस्पिटल पहुंच सके, यही चिंता है । (क्रमशः)

टर्न–15/अंजली/15.12.2022

श्री अखतरूल ईमान (क्रमशः) : इसी के लिए उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी को यह अधिकार देने की बात कही है कि 24 घंटे के अंदर में उसे वह हटा देंगे और जो लोग स्थाई तौर पर अतिक्रमण किए हुए हैं उनको 15 दिन के नोटिस पर हटायेंगे और नोटिस पर अगर वह नहीं हटते हैं तो उनको हटाने के लिए जो व्यय होगा, उनसे वसूला जाएगा और अगर उनसे वसूला न जाए तो होर्डिंग के रूप में वसूला जाएगा । पहला सवाल तो यह है कि वसूला क्यों नहीं जाएगा ? जब आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने में जो खर्च आएगा वसूला जाएगा तो जब वसूला नहीं जाएगा तो फिर होर्डिंग के रूप में कैसे वसूल करेंगे

एक सवाल यह पैदा होता है । दूसरा मामला यह होता है कि वे लोग, बसे हुए कौन लोग हैं ? बसे हुए लोग हैं फेरी वाले, ठेला वाले और वे लोग अतिक्रमण किए हुए हैं जो लोग भूमिहीन हैं तो मैं यह समझता हूं कि एक जमाना था कि माननीय मुख्यमंत्री लालू जी ने कम से कम ठेला चालकों के लिए, इस तरह के फेरी वालों के लिए रैन बसेरा बनाया था ताकि उनको सहारा मिले । अगर सरकार ऐसे लोगों को हटाकर सुंदर बनाना चाहती है और समय है तो कम से कम उन फेरी वालों के लिए वेंडर्स जो स्कीम है जो पिछले 15 सालों से पेंडिंग में है कि कम से कम उनका एक स्थाई उपाय होना चाहिए, ठेला चालकों के लिए यह उपाय होना चाहिए । दूसरा मामला यह है कि ये सभी लोग गरीब लोग हैं इनको बसाने का मामला होना चाहिए । आपने यह किया कि 15 सालों तक हैं अस्थाई तौर पर किए हुए उनको आप हटायेंगे लेकिन मैं यह समझता हूं कि हटाने की जिम्मेदारी तो आप तय कर रहे हैं लेकिन बसाया किसने, बसा किसके जमाने में यह भी तय होना चाहिए । चूंकि देखा यह गया है कि कार्यपालक पदाधिकारी के अधीन जो कर्मचारी होते हैं वह अवैध वसूली की वजह से ऐसे लोग उसे बसाते भी हैं और ऐसे लोगों से वसूली भी करते हैं तो जिनके जमाने में बस रहा हो उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उसके लिए जरूरी यह होगा कि नगर क्षेत्र में जो खाली पड़ी हुई जगह है और जो अतिक्रमित क्षेत्र है, उसका सर्वे होना चाहिए ताकि जिम्मेदारी तय करते वक्त हमें आसानी हो कि किस पदाधिकारी के जमाने में यह अवैध बसावट हुई है और इस अवैध बसावट से जो वसूली हुई है, अभी जो कुछ हुआ यहां पर नेपाल नगर कॉलोनी में कि जिन लोगों अवैध वसूली की थी ऐसे लोगों के संपत्तियों की जांच हो तो मैं चाहूंगा कि प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि नगरपालिका के कार्यपालक पदाधिकारी जिसके जमाने में इस तरह की अवैध बसावटें हो रही हों, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्होंने कितनी अवैध वसूली की है और अवैध वसूली तय पाए तो उनके तनख्वाह, उनके पेंशन से भी इसके कटौती का प्रावधान होना चाहिए । लेकिन जहां तक हटाने का सवाल है मैं कहूंगा कि कम से कम तमामतर शहरों में अभी आपने पार्किंग की व्यवस्था नहीं की है, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए । शहर के बारे में गंभीर है सरकार तो मैं बधाई देता हूं । लेकिन साथ ही गंभीरता का एक पहलू यह भी है कि जो लोग ठेला वाले हैं और फेरी

वाले हैं, जो लोग भूमिहीन हैं ऐसे लोगों के बसाने के लिए भी शहर के बगल के क्षेत्र में कोई प्रावधान होना चाहिए, इस मामले में भी, इसका प्रावधान इस नियम में हो तो मैं समझता हूं कि गरीब ठेला चालकों और मजूदरों के लिए भला होगा । नगर क्षेत्रों को सुधारा जाय । मैं चाहता हूं यह जरूरी है ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड-2 में चार संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2022 के पूर्ण स्थापित करने हेतु यह विधेयक लाया गया है । इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो है इस विधेयक का सदन को अवगत कराना चाहेंगे कि ये भारतीय संविधान के भाग-9 (क) के अंतर्गत किये गये प्रावधानों के आलोक में बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में किया गया है जिसकी धारा 435 में राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण एवं अवरोध पर नियंत्रण का प्रावधान है । वर्तमान समय में नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण के कारण आम नागरिकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है । इस पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने की आवश्यकता हो गई है । इस हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 435 में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है । इसके लिए बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2022 पूर्ण स्थापित किया जा रहा है । प्रस्तावित विधेयक में नगर निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग, पगडंडी, ड्रेनेज, सीवरेज एवं पार्क पर अतिक्रमण एवं अवरोध को हटाने का प्रावधान

किया गया है । इस विधेयक में नगर निकाय के नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा जो स्थाई अतिक्रमण एवं अवरोध है उसको हटाने हेतु 15 दिन पूर्व नोटिस निर्गत करने का प्रावधान है । यानी अतिक्रमण जब हटाया जाएगा जो स्थाई है उसको 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा और यदि 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं देंगे तो नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा अतिक्रमण को हटाने का आदेश पारित कर सकेंगे तथा अतिक्रमण को हटायेंगे । प्रस्तावित विधेयक में स्थाई अतिक्रमणकर्ता से दंड एवं जुर्माना के रूप में 20 हजार रुपए तक जुर्माना दंड लगाने का प्रावधान है तथा अतिक्रमण को हटाने में जो भी व्यय होगा, उसकी भरपाई भी अतिक्रमणकर्ता से किये जाने का प्रावधान है । प्रस्तावित विधेयक में अतिक्रमणकर्ता से यदि दंड एवं जुर्माना की वसूली नहीं होती है तो उनके होर्डिंग के बकाया के रूप में सम्मिलित कर वसूली करने का प्रावधान है । इस विधेयक में स्थाई अतिक्रमण के मामले में नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा 24 घंटे का नोटिस देकर अतिक्रमण को हटाने का प्रावधान किया गया है । इस विधेयक से नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिए नगरपालिकाओं को अधिक अधिकार प्राप्त होगा तथा इससे जिला प्रशासन पर निर्भरता कम होगी । इस विधेयक के प्रावधान के फलस्वरूप नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निकाय में आवश्यक संख्या में पदाधिकारी कर्मी, अमीन इत्यादि की नियुक्ति की जाएगी तथा आधारभूत संरचना इत्यादि की व्यवस्था की जाएगाी । अभी माननीय सदस्य हमारे बड़े भाई जान ने जिक्र किया कि जो लोग गरीब तबके के हैं, ठेला वाले हैं, सब लोग जानते हैं कि जो बैक बेंचर ऑफ द सोसायटी हैं, जो मजदूरी करता है, लेबर क्लास है, सफाई कर्मी हों या दूसरे जगह से आते हैं, लोग रहते हैं, अतिक्रमण करते हैं और (क्रमशः)

टर्न-16/सत्येन्द्र/15.12.2022

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री (क्रमशः) : हमलोग भी जब विपक्ष में थे तो हमलोगों की भी चिंता होती थी कि इन लोगों को कम से कम नोटिस वगैरह मिले । इन लोगों की पहले कहीं व्यवस्था कर दी जाए ताकि हमलोग, सबलोग जो हैं ,अतिक्रमण हटाने में सहयोग मिलेगा । वे लोग भी अपने लोग हैं, गरीब लोग हैं और ठीक ही कहा पहले भी

जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं, मुख्यमंत्री बने तो पहले भी उन्होंने इसकी व्यवस्था कराई कई जगहों में, पटना जैसे शहरों में भी इसकी व्यवस्था कराई गयी । पक्का मकान वगैरह बनाकर के उनको कई जगहों पर दिया गया । कई ऐसे इलाके हैं खासतौर से दलित समाज के लोग जो आते हैं, महादलित समाज के जो लोग आते हैं । अभी महोदय, ये तो अतिक्रमण हटाने की बात हो गयी । आज सदन में भी कई बार रोड पर ठेला लगाने के कारण माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया है कि इससे आमलोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कर रहे हैं । इससे ट्रैफिक की, जाम से हर तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है । माननीय सदस्यों का भी फिक्र सही है लेकिन हम इनको बताना चाहेंगे, इनको आश्वस्त करना चाहेंगे कि जब हमें पहली बार नगर विकास मंत्री की जिम्मेदारी मिली तो सबसे पहले हमने अगर समीक्षा की होगी तो उन गरीबों की की और इस संबंध में सर्वे भी कराया गया है । पटना में ही लगभग ऐसे 48 हजार लोग जो गरीब हैं, जो झुग्गी-झोपड़ी में, टेन्ट में, पुल के नीचे रहते हैं । महोदय, आप चले जाइयेगा अभी जो नया पथ बना है, उस होकर जब दीघा जाते हैं तो नहर के किनारे आप देखेंगे कि कितना स्लम एरिया है । खासतौर पर जो स्लम के लोग हैं, उनके लिए एक नई योजना पर हमलोग विचार कर रहे हैं, एक नई पॉलिसी बना रहे हैं ताकि उन लोगों को स्थाई, पक्का मकान एक जगह दिया जाए और उसके लिए जगह को भी हम चिन्हित करने का काम कर रहे हैं, लोकेशन हम देख रहे हैं कि कहां व्यवस्था होगी । लेकिन पहला जो सर्वे हुआ है उसमें तकरीबन लगभग 48 हजार लोग ऐसे हैं जो झुग्गी-झोपड़ी में रहने का काम करते हैं । इनको हमें जगह देनी है, इसके लिए हमारा विभाग बड़ी तेजी से नियम भी ला रहा है और योजना भी बना रहा है । उसमें कुछ छोटी-मोटी चीजें थी जिसमें सुधार की जरूरत थी वह हमलोगों ने की है और जल्द ही अगर आप सब लोगों का साथ और विश्वास रहेगा, मिलेगा तो इस चीज को भी हम जल्दी लाकर के आपके सामने में करवाने का काम करेंगे । अभी तक अतिक्रमण हटाने में थोड़ी बहुत दुविधा होती थी। अब तो इसमें कम से कम जो स्थायी निर्माण कर लिया है, जो थोड़ा पक्का वगैरह बना लिया है, पार्क के किनारे या रोड पर तो कम से कम इनको 15 दिन पूर्व तो नोटिस दिया

जायेगा । यह नहीं कि तुरंत जाकर डंडा मारेगा । कम से कम 15 दिन पूर्व उनको नोटिस मिलेगा उसके बाद वह जवाब देगा अगर वह असंतोष पाया गया तो कार्रवाई की जायेगी । ये इसमें सारा प्रावधान है । हमें लगता है कि अतिक्रमण मुक्त भी कराया जायेगा और जो लोग बेघर है उनको भी बसाने के लिए सरकार गंभीर है और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब लोग इसको पूरा करेंगे इसलिए हम चाहेंगे कि इसको सबकी सहमति से पास किया जाए ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, एक बात कहनी थी...

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी के बोल लेने के बाद से आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप स्थान ग्रहण करें । नियम के विरुद्ध नहीं जाना है ।

(व्यवधान)

नहीं आपसे भी मैं कहूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये क्योंकि प्रभारी मंत्री जी का जो विचार था आप लोगों ने सुन लिया, बड़ा सकारात्मक है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-15 दिसम्बर, 2022 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या- 48 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाए।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार दिनांक- 16 दिसम्बर, 2022 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।